

अनेक शिक्षक बेरोजगारों को अपने वेतन से कुछ पैसा देकर पढ़वा रहे हैं। मिड-डे-मील के रंगीन-चावल छात्रों को एवं मानकीय भोजन-दूध-फल शिक्षक, रसोइयाँ, प्रबंधकों द्वारा चट कर छात्रों की फर्जी उपस्थित दर्ज कर ली जाती है। मिड-डे-मील का बचा राशन बंदरबाट कर घर ले जाया जाता है। जिससे सिद्ध होता है कि मिड-डे-मील व्यवस्था खत्म होने पर छात्र-जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु शिक्षक-प्रबंधक व उनके परिजन भूखे अवश्य रह जाएंगे।

- (5) यह कि, जिले के स्कूलों में रसोइया व स्कूल समितियों के अध्यक्ष पदों पर कार्यरत अधिकांश के बच्चे स्कूल के छात्र नहीं हैं। इनमें अधिकांश अपने परिजनों सहित समाजवादी-विधवा-वृद्ध पेशन धारी होने के बावजूद प्रबंधक व शिक्षकों की कृपा से पदासीन हैं। अधिकांश रसोइया स्कूल में खाना न बनाकर शिक्षकों-प्रबंधकों के घर पर काम करती हैं। रसोइया कार्यों में दलितों का पूर्णतया अभाव है और जो दलित रसोइया हैं उनसे स्कूलों में खाना न बनवाकर स्वीपर रसोइया काम लिया जा रहा है। मिड-डे-मील की बड़ी मात्रा रसोइया अपने घर ले जाती हैं और परिजनों सहित पश्चात् का काम लिया जा रहा है। अनेक रसोइयों के पति, बेटे-बहुए एवं शिक्षक-प्रबंधकों के नौकर स्कूल समितियों के अध्यक्ष बने हुए हैं जो बिना बैठक-प्रस्तावों के फर्जी अनुमोदनों से गंभीर वित्तीय अनियन्त्रिताएं करने में जुटे हुए हैं। स्कूल समितियों के ऐकेट्स में शिक्षकों के फर्जीबाड़े अति गतिशील हैं। सरकारी स्कूलों में सबसे आश्चर्य जनक बात यह है कि इनमें कार्यरत लगभग सभी रसोइया एवं उनके परिजन तथा उनके लगभग सभी प्रतिपाल्य निरक्षर हैं। बड़ी संख्या में कार्यरत लगभग सभी रसोइया एवं उनके परिजन तथा उनके लगभग सभी प्रतिपाल्य निरक्षर हैं। जो देश के लिए कलंक है।
- (7) यह कि, जिले के अधिकांश एडिड इंटर कालेज में पब्लिक स्कूलों का संचालन हो रहा है जिनकी मान्यता एवं सम्बद्धता सी.बी.एस.सी., यू.पी.बोर्ड, परिषदीय हिन्दी-अंग्रेजी माध्यम से बताकर भारी धन उगाही की जा रही है। सरकारी एडिड कालेजों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक अनेक डिग्री-पब्लिक स्कूलों को संचालित कर अवैध लाभ कमाने में जुटे हैं। एडिड कालेजों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक एवं कर्मचारी अनेके निजी विद्यालयों के संचालक निदेशक, प्रबंधक, राजनीतिक पार्टीयों के पदाधिकारी, दलाल, शिक्षा माफिया हैं जिनका निवास संबंधित स्कूलों के पास न होकर अन्य गांव-नगर में हैं और वे ड्यूटी से पर नहीं जाते। उनकी जगह अन्य लोग ड्यूटी खानापूर्ति करते हैं। फर्जी छात्रों का पंजीकरण, छात्रों-किशोरों की शिक्षण-प्रशिक्षण पूर्णतया फर्जी हो रहा है।
- (8) यह कि, अधिकांश एडिड स्कूलों की प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों ने अपने परिजनों पुत्र, पुत्री, बहू, दामाद एवं सगे-संबंधी हितबद्ध लोगों को घरपासी-लिपिक पदों पर नियुक्त कर लेने के बावजूद विरासत के आधार पर प्रबंध समितियों में दशकों से पदासीन हैं और विद्यालयों की सम्पत्ति-धन का दुरुपयोग कर निजी लाभ ले रहे हैं।
- (9) यह कि, जिले के मोहम्मदाबाद में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय अनुसूचित एवं जनजाति के दरिद्र बच्चों के लिए है तथा कुछ सीटों पर दरिद्रों के बच्चों को भी प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिसका लाभ पात्र दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्रों-अपात्रों का दिया जा रहा है। वास्तविक पात्र दरिद्र वंचित-निरक्षर हैं।
- (10) धार्मिक स्थलों एवं अल्पसंख्यकों के नाम पर संचालित स्कूलों में धर्म व शिक्षा का दुरुपयोग होकर छात्र-छात्राओं को अंधविश्वासों का अंधानुकरण करने हेतु बाद किया जाता है। दान-अनुदान एवं छात्रवृत्तियों को हडपकर मठाधीश व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। फर्जीबाड़े पर अनेक अधिकांश मदरसों की शिक्षा अति संदिग्ध एवं समाज विरोधी है।
- (11) यह कि, जिले के गैर पंजीकृत ईश्वरीय विश्वविद्यालयों का संचालन अवैध है। नरक, भूत-प्रेतों का भय एवं आत्मा-जीवन उद्धार का लालच देकर किशोर-किशोरियों-प्रीडों को फंसाकर लाया जाता है। पूजा-पाठ कर्मकांडों से जन-समर्थन प्राप्त कर फंसे लोगों को रात्रि के अंधेरे में इधर-उधर न जाने कहाँ ले जाया जाता है। यहाँ किशोरियों को चिड़ियाघर की भाति रखा है तथा अपराध जगत में सक्रिय व्यक्ति को ईश्वर बताकर उनसे युवतियों का शोषण-संसर्ग उपरांत विधवा जीवन व्यतीत करने हेतु बाद किया जाता है। इनकी गतिविधियाँ व्यक्ति-समाज के लिए अत्यंत घातक हैं।
- (12) यह कि, जिले में संचालित पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों में अधिकांश ऐसे छात्र हैं जो सरकारी स्कूलों में पंजीकृत हैं या रहे हैं एवं उनके अभिनावक सरकारी योजनाओं का लाभ यथा समाजवादी, विधवा, बिकलांग पेशन सहित दरिद्र कल्याण हेतु बनी योजनाओं का लाभ लेकर सरकारी स्कूलों में नौकरी-अध्यक्षता कर रहे हैं। निजी स्कूलों के छात्रों से सम्बन्धित विचारानीय तथ्य यह है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा पूर्ण करने के बावजूद जब छात्रों को निरक्षर होना पड़ता है तो उन्हें पुनः पब्लिक स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है और बड़ी उम्र में भी निम्न शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
- (13) यह कि, फर्स्टखाबाद जनपद में संचालित मा.शि.प. इलाहाबाद से सम्बद्ध तथा मान्यता प्राप्त एडिड एवं स्वचितपोषित माध्यमिक विद्यालयों की अधिकांश प्रबंध समितियों के पदाधिकारी-सदस्य स्थानीय समुदायों के जन-साधारण, शिक्षाविद, समाजसेवी, अभिनावक नहीं हैं और न ही निधारित प्रशासन योजना के मानकानुरूप है। शैक्षिक मानक प्रतिकूल प्रबंधतंत्रों के पदाधिकारी-सदस्य परिजन भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, सास-ससुर, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, स्वजातीय, नौकर, मित्र, साझेदार, गैर-जनपदीय आपसी हितबद्ध हैं। इन स्कूलों के लोग अपने निजी लाभ के लिए व्यापार की भौमि सार्वजनिक शिक्षा को दूषित कर रहे हैं। सोसाइटी एकट-1856 एवं शिक्षा अधिनियम की उपेक्षा कर स्व.लाभ हेतु परिजनों भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, नौकर, स्व.जातीय, साझेदार आपसी हितबद्धों को प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारियों के पदों पर आसीन कर एवं कालेजों में शिक्षणकार्य कराए बिना छात्र-छात्राओं को मनचाहे सर्टीफिकेट का लालच देकर अवैध वसूली व

धन उगाही एवं व्यक्तिगत लाम कमाने में जुटे हैं। स्ववित्तपोषी कालेज 'नकल-ठेकों' एवं डिग्री विक्री के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था, प्राधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, लैब, लाइब्रेरी आदि अमानक तथा छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगारों से मनमाना धन वसूलने के बावजूद शिक्षण नहीं होता है। स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता संबंधी पत्रावलियों में औपचारिकतावश जो प्रधानाचार्य, शिक्षक अनुमोदित होते हैं उनमें अधिकांश फर्जी हैं। इनका वेतन भुगतान के बैंक खातों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं जारी हैं। जिसके कारण पात्र व्यक्ति रोजगार से वंचित हो रहे हैं। स्ववित्तपोषी कालेजों में अई शिक्षक को मानकीय वेतन नहीं दिया जाता है। प्रवंधतंत्रों के लोग अई शिक्षकों को वेतन-मत्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते हैं परन्तु मानकयुक्त वेतन-मत्ते नहीं देते हैं। अधिकांश शिक्षक 'ट्रयुशनबाजी' में संलिप्त हैं।

- (24) यह कि, जनपद में कुछ ऐसे भी विद्यालय मिले हैं जहाँ सक्षम व्यक्ति धन-पद के प्रभाव में अपने निवास स्थान के विद्यालय में पदासीन हैं और उ.प्र. कर्मचारी आचरण सहित एवं शिक्षा मानकों की जबरदस्त उपेक्षा कर द्यूशन-कोविंग व्यापार सहित राजनीतिक दलों में सक्रिय होकर अवैध लाभ कमाने में जुटे हैं। अंकुश लगना चाहिए।
- (25) यह कि, जिले के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ छात्र संख्या पर्याप्त एवं शिक्षकों का अभाव है वहाँ मानदेय शिक्षकों में अधिकांश शिक्षण कार्य करने में योगदान नहीं देते हैं। तत्काल सुधार होना आवश्यक है।
- (26) यह कि, जिले के प्राइवेट एवं कॉर्पोरेट स्कूलों में बड़ी आयु के नर्सरी से कक्षा 5 के छात्र बने मिले हैं जिन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक पढ़ने के बावजूद जब उन्हें कोई योग्यता नहीं मिली तो पढ़ने-योग्यता के लिए यहाँ आकर निम्न कक्षाओं में एडमीशन लेना पड़ा और मन लगा कर पढ़ रहे हैं। जबाबदेह तत्काल दंडित होने चाहिए।
- (27) यह कि, जिले के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों के अधिकांश छात्रों ने बताया कि यहाँ पढ़ाई न होने के कारण वह प्राइवेट स्कूलों के छात्र हैं, वहीं पढ़ने जाते हैं यदा-कदा यहाँ आकर खाना, ड्रेस, पुस्तकें ले जाते हैं। जब कोई अधिकारी आता है तो हमें प्राइवेट स्कूल से बुला लिया जाता है। जबाबदेह तत्काल बर्खास्त होने चाहिए।
- (28) यह कि, उक्त स्थिति में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शिक्षा मानक, शिक्षक तथा शिक्षण व्यवस्थाएँ आदि छात्र-छात्राओं एवं साधारण जन-समाज के लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप सिद्ध हो रही हैं। सुधार होना चाहिए।
- (29) यह कि, जिले के सरकारी-एडिड स्कूलों में पढ़ाई न होने एवं छात्रों के अज्ञानी बने रहने के कारण कोई भी सक्षम व्यक्ति अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में नौकरी करने वाले रसोइया, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, प्रबंधक, अधिकारी और नेता वेतन-भत्तों की मोटी रकमें लेने के बावजूद अपने प्रतिपाल्यों को इन विद्यालयों पढ़ाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर अपने प्रतिपाल्यों का भविष्य नष्ट नहीं करना चाहता है। जो अति विचारणीय तथ्य है। तत्काल सुधार होना चाहिए।
- (30) यह कि, मानक विहीन शिक्षा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक, शिक्षण, प्रकटीकल्स, पुस्तकालय, प्राचार्य और कर्मचारियों का अभाव एवं अमानकता से शिक्षा व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। नकल, द्यूशन, बिना पाठन डिग्री-उपाधि वितरण व्यवसायों से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। शिक्षण संस्थाओं में दिखावा ज्यादा होता है तथा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का आर्थिक शोषण होता है। शिक्षण संस्थाओं का संचालन भारी वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण अति आवश्यक है। शिक्षा नवीन प्रवृत्तियों सहित व्यवसाय की ओर उन्मुख हो एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए तथा राज्य और शिक्षा के निजीकरण पर नियंत्रण आवश्यक हो। ट्रस्ट, सोसाइटी, वाणिज्य, सरकारी-आदेश एवं शैक्षिक व्यवस्था के वैद्यानिक प्रवधानों का अनुपालन होना चाहिए। प्रबंधतंत्र में अभिभावकों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों, स्थानीय साधारण-जनता को ही सदस्य-अध्यक्ष-प्रबंधक बनाया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र में परिवारवादी, जातिवादी, धर्मवादी, राजनीतिज्ञ, वेतनमोगियों को पदाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र का शैक्षिक हस्तक्षेत्र एवं कालेज संम्पत्ति का दुरुपयोग पर अंकुश लगना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में मात्र मानकपूर्ण शिक्षक, शिक्षण, वेतन भुतान, नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। प्रबंधतंत्र को चन्दे, दान, अनुदान, आय, शुल्क धन सरकारी कोषागार में जमा जमा होना चाहिए। शिक्षक-कर्मचारियों को वेतन-भत्ते का भुगतान कोषागार ईक से वितरित होना चाहिए। कालेज आडिट नियमित एवं जबाबदेह होना चाहिए। छात्रविहीन स्कूल बंद होने चाहिए। राजनीति करने वाले एवं शिक्षण कार्य न करने वाले शिक्षकों का बर्खास्त किया जाना चाहिए। द्यूशन, नकल एवं अवैध वसूली तत्काल बंद किए जाने चाहिए। धार्मिक, भारतीय, अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नाम से गैर पंजीकृत विद्यालयों पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। शिक्षकों-प्रबंधतंत्रों के फर्जीबाड़ों, फर्जी छात्र संख्या के आधार पर नियुक्त, शिक्षक-कर्मी वेतन, निजी आवास के पास वाले स्कूल में तैनाती, शिक्षामानक एवं छात्रहित उपेक्षा पर तत्काल अंकुश लगाकर मानकीय व्यवस्था अनुरूप शैक्षिक जगत में गरिमामयी योगदान दिया जाना चाहिए।

आदर सहित।

मवदीया
(डॉ. नीतू सिंह तोमर)
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई-दिल्ली-110002

दिनांक 15-04-2017

Dr. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

RL KOTWALI ROAD (209601)
A RU542093024IN
Counter No:1, OP-Code:02
To:SACHIV CENTRAL BOARD, SEC EDUCATION CBSE
NEW DELHI, PIN:110001
From:DR.NEETU SINGH , POST DIRECTORAL FELLOW USC DELH
Wt:20grams,
P8:22.00, ,15/04/2017 ,14:58
<<Track on www.indiapost.gov.in>>



सेंह तोमर, एम.ए.पी.—एच.डी.(समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

न आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली—110002

पत्रांक: २०८/अप्रैल/2017/दि. 15.04.2017
सेवा में,

मोबाइल—9389766228
गोपनीय एवं अति आवश्यकीय

अध्यक्ष/सचिव,

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजूकेशन, नई दिल्ली।

विषय: फर्लखाबाद के स्कूलों में एक भवन में संचालित माध्यमिक, डिग्री, पब्लिक स्कूलों पर अंकुश लगाने हेतु महोदय,

फर्लखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण एवं जनसम्पर्क के दौरान जिले के मान्यता प्राप्त स्कूलों के एक ही भवनों में सी.बी.एस.इ.यू.पी.बोर्ड, परिषदीय स्कूलों सहित डिग्री-लॉ-बी.एड.कालेज कालेज एवं पब्लिक स्कूलों का संचालन कर अवैध घन उगाही होते मिली हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु अधोलिखित तथ्य व सुझाव सादर प्रस्तुत हैं।

(1) यह कि, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित जनसामान्य के कल्याण के लिए शैक्षिक योजनाओं के अध्ययन उपरान्त मैंने उत्तर प्रदेश के जनपद फर्लखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की शैक्षिक समस्याओं के निरीक्षण हेतु 6 नगरों के 117 वार्ड एवं 7 ब्लाकों की 513 ग्रामसभाओं में 315 ग्रामसभाओं का भ्रमण—जनसंपर्क कर जिले के केंद्रीय, राजकीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कस्तूरबा, मूकबधिर, आश्रम पद्धति, स्ववित्त, एडिड, अनएडिड स्कूलों तथा प्रौढ़शिक्षा—आंगनबाड़ी केंद्रों, डिग्री कालेजों, पालीटेक्निक, आई.टी.आई., पब्लिक स्कूलों मान्यता—गैर मान्यता विद्यालयों, मदरसों, ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों तथा बस्तियों के शिक्षित—अशिक्षित बच्चों, किशोरों, युवा, ब्रौद, वृद्ध स्त्री—पुरुषों से वार्ता कर उनकी शिक्षा और निरक्षरता की वास्तविक स्थिति एवं शैक्षिक समस्याओं का मूल्यांकन किया। जिसके परिणामस्वरूप 90—95% कृषक—मजदूर, निरक्षर मिले। ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 85—95% स्त्रियां, 80—90% पुरुष, शहरी क्षेत्रों में लगभग 80—90% स्त्रियां, 70—80% पुरुष निरक्षर मिले। दरिद्र बस्तियों में यह स्थिति और भी भयावह मिली जहाँ की अशिक्षा और निरक्षरता 95—100% बनी हुई है। अध्ययननरत छात्र, किशोर—किशोरी, प्रशिक्षित एवं शिक्षा डिप्लोमा धारियों की शैक्षिक स्थिति में बड़ी अज्ञानता व निरक्षरता की झलक दिखाई दी। निम्न से उच्च शिक्षित बच्चों, किशोरों, युवाओं को सूर्योदय एवं सूर्यास्त की दिशाओं व अक्षर ज्ञान नहीं हैं। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद—प्रदेश के निवासी हैं। लिखना—पढ़ना उनके वश की बात नहीं। निरक्षरता और अज्ञानता उनके पतन की नियत बनी हुई है।

(2) यह कि, समाज के प्रत्येक व्यक्ति और उसके सभी प्रतिपाल्यों को शिक्षित करने के लिए फर्लखाबाद जिले में बहुत बड़ी संख्या में इंटरकालेज, डिग्रीकालेज, परिषदीय, केंद्रीय, नवोदय, कस्तूरबा, आश्रम पद्धति आदि विद्यालय सहित आंगनबाड़ी, सर्वशिक्षा केंद्र तथा एडिड विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें प्रधानाचार्य, शिक्षक, गेस्ट शिक्षक, शिक्षामित्र, प्रेरक, कार्यकर्ता, सहायिका, अनुदेशक, कोआर्डिनेटर, शिक्षाधिकारी सहित रसोइया, सेवक, स्वीपर, लिपिक, आदि बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। जिनके बतन—मत्तों, छात्रवृत्तियों, भवनों तथा मिड—डे—मील, दूध, फल, बस्तों, ड्रेसों आदि पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय हो रहा है। इसके बावजूद उ.प्र.के फर्लखाबाद जनपद के अधिकांश सरकारी स्कूलों में पढ़ाई न होने से कोई भी अपने प्रतिपाल्यों को इन स्कूलों में पढ़ा कर भविष्य बर्वाद करने हेतु तैयार है। सरकारी सुविधा प्राप्त स्कूलों में पढ़ने—पढ़ने वाले छात्रों का पूर्णतया अभाव है। इनमें जो छात्र पंजीकृत हैं उनमें अधिकांश छात्र या तो फर्जी हैं अथवा अज्ञानी हैं। इनमें कार्यरत लगभग सभी रसोइयों एवं पंजीकृत छात्रों तथा अभिभावकों में अधिकांश की निरक्षरता और अशिक्षा फर्लखाबाद जनपद की शिक्षा की वास्तविकता उजागर करती है।

(3) यह कि, जिले के केंद्रीय, राजकीय एवं परिषदीय प्राथमिक, उच्चतर, माध्यमिक एवं एडिड विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षक, सेवक, रसोइया, स्वीपर, अनुदेशक, कोआर्डिनेटर कार्यरत हैं। शैक्षिक व्यवस्था हेतु स्कूल समितियां एवं पी.टी.ए.बने हैं। समितियों की सदस्यता व गठन में पदाधिकारियों—सदस्यों के प्रतिपाल्य का छात्र होना आवश्यक है। जिनकी निरागानी—देखरेख का जबाबदेह उत्तरदायित है। इनके प्रस्ताव—अनुमोदन बिना कोई भी व्यवस्था—मुगलान पूर्णतया प्रति विधित है। छात्रों को दूध, फल, मोजन, वस्त्र, पुस्तकें, बस्ते, तैलिया, साबुन जलरी बस्तुओं सहित मानकीय शिक्षा—पाठ्यक्रम एवं शिक्षण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। जिसका लेखा प्रत्येक शिक्षक की डायरी पर दैनिक दर्ज होना जलरी है जिसके आधार पर ही शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है। औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। जिसकी जबरदस्त उपेक्षा है।

(4) यह कि, जनपद के अधिकांश बड़े—बड़े स्कूल भवन व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इन भवनों में पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ देखने को मिल रहा है। यथा स्कूल भवन—सम्पत्ति का दुरुपयोग, धनउगाही, परीक्षा में नगल, प्रबंधकों के निवास, निजी कृषि—व्यापार, राजनीतिक अखाड़े, दावतों के मंडारे, मिड—डे—मील का दुरुपयोग, पौणालिक स्थलों एवं पार्कों की भाँति बच्चों की उच्छल—कूद, शिक्षकों—रसोइयों के गुट—गपशप, ट्यूशन, मोबाइल पर गेम्स एवं लम्बी बातचीत आदि के नजारे दिखते हैं। कार्यरत अधिकांश शिक्षक ड्यूटी साइन करने के लिए यदा—कदा स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाए बिना चले जाते हैं। अनेक शिक्षक घर बैठे बिना शिक्षण कार्य वेतन लेकर राजनीति—व्यापार में सक्रिय हैं।

(P.T.O.)

अनेक शिक्षक बेरोजगारों को अपने वेतन से कुछ पैसा देकर पढ़वा रहे हैं। मिड-डे-मील के रंगीन-चावल छात्रों को एवं मानकीय भोजन-दूध-फल शिक्षक, रसोइयाँ, प्रबंधकों द्वारा चट कर छात्रों की फर्जी उपस्थित दर्ज कर ली जाती है। मिड-डे-मील का बचा राशन बंदरबांट कर घर ले जाया जाता है। जिससे सिद्ध होता है कि मिड-डे-मील व्यवस्था खत्म होने पर छात्र-जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु शिक्षक-प्रबंधक व उनके परिजन भूखे अवश्य रह जाएंगे।

- (5) यह कि, जिले के स्कूलों में रसोइया व स्कूल समितियों के अध्यक्ष पदों पर कार्यरत अधिकांश के बच्चे स्कूल के छात्र नहीं हैं। इनमें अधिकांश अपने परिजनों सहित समाजवादी-विधवा-वृद्ध पेशन धारी होने के बावजूद प्रबंधक व शिक्षकों की कृपा से पदासीन हैं। अधिकांश रसोइया स्कूल में खाना न बनाकर शिक्षकों-प्रबंधकों के घर पर काम करती हैं। रसोइया कार्यों में दलितों का पूर्णतया अभाव है और जो दलित रसोइया हैं उनसे स्कूलों में खाना न बनवाकर स्थीपर का काम लिया जा रहा है। मिड-डे-मील की बड़ी मात्रा रसोइया अपने घर ले जाती हैं और परिजनों सहित पशुओं को किलाती हैं। अनेक रसोइयों के पति, बेटे-बहुएं एवं शिक्षक-प्रबंधकों के नौकर स्कूल समितियों के अध्यक्ष बने हुए हैं जो बिना बैठक-प्रस्तावों के फर्जी अनुमोदनों से गंभीर वित्तीय अनियमितताएं करने में जुटे हुए हैं। स्कूल समितियों के ऐकेट्स में शिक्षकों के फर्जीबाड़े अति गतिशील हैं। सरकारी स्कूलों में सबसे आश्वर्य जनक बात यह है कि इनमें कार्यरत लगभग सभी रसोइया एवं उनके परिजन तथा उनके लगभग सभी प्रतिपाल्य निरक्षर हैं। बड़ी संख्या में भत्ते जारी हैं जबकि जनपद के अधिकांश व्यक्ति अशिक्षा एवं निरक्षरता के शिकार हैं। जो देश के लिए कलंक है।
- (7) यह कि, जिले के अधिकांश एडिड इंटर कालेज में पब्लिक स्कूलों का संचालन हो रहा है जिनकी मान्यता एवं सम्बद्धता सी.बी.एस.सी., यू.पी.बोर्ड, परिषदीय हिन्दी-अंग्रेजी माध्यम से बताकर भारी धन उगाही की जा रही है। सम्बद्धता के अधिकांश शिक्षक अनेक डिग्री-पब्लिक स्कूलों को संचालित कर अवैध लाभ सरकारी एडिड कालेजों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक एवं कर्मचारी अनेक निजी विद्यालयों के संचालक कमाने में जुटे हैं। एडिड कालेजों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक एवं कर्मचारी अनेक निजी विद्यालयों के निदेशक, प्रबंधक, राजनीतिक पार्टीयों के पदाधिकारी, दलाल, शिक्षा माफिया हैं जिनका निवास संबंधित स्कूलों के पास न होकर अन्य गांव-नगर में हैं और वे ड्यूटी से पर नहीं जाते। उनकी जगह अन्य लोग ड्यूटी खानापूर्ति करते हैं। फर्जी छात्रों का पंजीकरण, छात्रों-किशोरों को शिक्षण-प्रशिक्षण पूर्णतया फर्जी हो रहा है।
- (8) यह कि, अधिकांश एडिड स्कूलों की प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों ने अपने परिजनों पुत्र, पुत्री, बहू, दामाद एवं सगे-संबंधी हितबद्ध लोगों को चपरासी-लिपिक पदों पर नियुक्त कर लेने के बावजूद विरासत के आधार दामाद एवं सगे-संबंधी हितबद्ध लोगों को चपरासी-लिपिक पदों पर नियुक्त कर लेने के बावजूद विरासत के आधार पर प्रबंध समितियों में दशकों से पदासीन हैं और विद्यालयों की सम्पत्ति-धन का दुरुपयोग कर निजी लाभ ले रहे हैं।
- (9) यह कि, जिले के मोहम्मदाबाद में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय अनुसूचित एवं जनजाति के दरिद्र बच्चों के लिए है तथा कुछ सीटों पर दरिद्रों के बच्चों को भी प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिसका लाभ पात्र दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्रों-अपात्रों का दिया जा रहा है। वास्तविक पात्र दरिद्र व्यक्ति-निरक्षर हैं।
- (10) धार्मिक स्थलों एवं अल्पसंख्यकों के नाम पर संचालित स्कूलों में धर्म व शिक्षा का दुरुपयोग होकर छात्र-छात्राओं को अंधविश्वासों का अंधानुकरण करने हेतु बाद किया जाता है। दान-अनुदान एवं छात्रवृत्तियों को हड़पकर मठाधीश अंधविश्वासों का अंधानुकरण करने हेतु बाद किया जाता है। दान-अनुदान एवं छात्रवृत्तियों को हड़पकर मठाधीश अंधविश्वासों का अंधानुकरण करने हेतु बाद किया जाता है। फर्जीबाड़े पर अनेक अधिकांश मदरसों की शिक्षा अति संदिग्ध एवं समाज विरोधी है। व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं।
- (11) यह कि, जिले के गैर पंजीकृत ईश्वरीय विश्वविद्यालयों का संचालन अवैध है। नरक, भूत-प्रेतों का भय एवं आत्मा-जीवन उद्धार का लालच देकर किशोर-किशोरियों-प्रौढ़ों को फंसाकर लाया जाता है। पूजा-पाठ कर्मकांडों से जन-समर्थन प्राप्त कर फसे लोगों को रात्रि के अंधेरे में द्वघर-उघर न जाने कहाँ ले जाया जाता है। यहाँ किशोरियों को चिड़ियाघर की भाति रखा है तथा अपराध जगत में सक्रिय व्यक्ति को ईश्वर बताकर उनसे युवतियों का शोषण-संसर्ग उपरांत विद्या जीवन व्यतीत करने हेतु बाद किया जाता है। इनकी गतिविधियाँ व्यक्ति-समाज के लिए अत्यंत घातक हैं।
- (12) यह कि, जिले में संचालित पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों में अधिकांश ऐसे छात्र हैं जो सरकारी स्कूलों में पंजीकृत हैं या रहे हैं एवं उनके अभिभावक सरकारी योजनाओं का लाभ यथा समाजवादी, विधवा, बिकलांग पेशन सहित दरिद्र हैं या रहे हैं एवं उनके अभिभावक सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर सरकारी स्कूलों में नौकरी-अध्यक्षता कर रहे हैं। निजी स्कूलों के छात्रों कल्याण हेतु बनी योजनाओं का लाभ लेकर सरकारी स्कूलों की शिक्षा पूर्ण करने के बावजूद जब छात्रों को निरक्षर होना से सम्बन्धित विचारणीय तथ्य यह है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा पूर्ण करने के बावजूद जब छात्रों को निरक्षर होना पड़ता है तो उन्हें पुनः पब्लिक स्कूलों में पढ़ना पड़ेगा है और बड़ी उम्र में भी निम्न शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
- (13) यह कि, फर्लखाबाद जनपद में संचालित मा.शि.प. इलाहाबाद से सम्बद्ध तथा मान्यता प्राप्त एडिड एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों की अधिकांश प्रबंध समितियों के पदाधिकारी-सदस्य स्थानीय समुदायों के जन-साधारण, शिक्षाविद, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन योजना के मानकानुरूप है। शैक्षिक मानक शिक्षाविद, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन योजना के मानकानुरूप है। शैक्षिक मानक शिक्षाविद, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन योजना के मानकानुरूप है। इन स्कूलों के लोग अपने भतीजे, साले-बहनोई, स्वजातीय, नौकर, मित्र, साझेदार, गैर-जनपदीय आपसी हितबद्ध हैं। सोसाइटी एकट-1856 एवं शिक्षा अधिनियम की उपेक्षा कर रखःलाभ हेतु परिजनों, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, सास-ससुर, बहू, प्रतिकूल प्रबंधतंत्रों के पदाधिकारी-सदस्य परिजन भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, स्वजातीय, साझेदार, आपसी हितबद्धों को प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारियों के पदों पर आसीन साले-बहनोई, नौकर, स्वजातीय, साझेदार आपसी हितबद्धों को प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारियों के पदों पर आसीन कर एवं कालेजों में शिक्षणकार्य कराए बिना छात्र-छात्राओं को मनचाहे सर्टीफिकेट का लालच देकर अवैध बसूली व

घन उगाही एवं व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। स्ववित्तपोषी कालेज 'नकल-ठेकों' एवं डिग्री विक्री के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था, प्राधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, लैब, लाइब्रेरी आदि अमानक हैं तथा छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगारों से मनमाना घन वसूलने के बावजूद शिक्षण नहीं होता है। स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता संबंधी पत्रावलियों में औपचारिकतावश जो प्रधानाचार्य, शिक्षक अनुमोदित होते हैं उनमें अधिकांश फर्जी हैं। इनका वेतन भुगतान के बैंक खातों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं जारी हैं। जिसके कारण पात्र व्यक्ति रोजगार से वंचित हो रहे हैं। स्ववित्तपोषी कालेजों में अहं शिक्षक को मानकीय वेतन नहीं दिया जाता है। प्रबंधतंत्रों के लोग अहं शिक्षकों को वेतन-भर्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते हैं परन्तु मानकयुक्त वेतन-भर्ते नहीं देते हैं। अधिकांश शिक्षक 'द्यूशनवाजी' में संलिप्त हैं।

- (14) यह कि, जिले का डायट केंद्र रजलामई में संचालित हो रहा है। केंद्र के प्राचार्य, शिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थी यदाकदा विद्यालय आते हैं। प्राचार्य के केंद्र आने की सूचना मोबाइल पर सर्कुलेट होती है तभी स्टाफ-शिक्षक विद्यालय आते हैं।
- (15) यह कि, शिक्षा बोर्ड, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल एवं चिकित्सीय, विधि कालेज तथा शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा-माफियाओं द्वारा प्रबंधन के नाम पर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है और कागजी खानापूर्ति कर शिक्षा के उद्देश्यों को समाप्त कर स्वलाभ कमाया जा रहा है तथा मानक विहीन सोसाइटीयों घन के प्रभाव में विद्यालय संचालन की मान्यता प्राप्त कर अवैध वसूली कर भावी पीढ़ी का भविष्य बर्वाद कर रही है। स्कूलों के प्रबंधतंत्रों एवं शिक्षण व्यवस्था के अवलोकन, सम्पर्क के आधार पर प्राप्त तथ्यों पर विचार करने से पता चलता है कि, जिले में संचालित एडिड एवं स्ववित्तपोषी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक कालेज सम्बद्धता-मान्यता पत्रावली में फर्जी, अवैध, अमानक भ्रामक तथ्यों-प्रपत्रों एवं शपथ-पत्रों को जोड़-तोड़ कर मनमाने ढंग से प्रभागित कर शामिल कर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं तथा शिक्षा विभाग के लोगों से सांठगांठ एवं धन-लालच के प्रभाव से मनचाही बैठकें जांच-साक्षात्कार-नियुक्ति-जांच के फर्जी प्रपत्र बनाकर विद्यालयों-बोर्डस की पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं। जिसके माध्यम से शिक्षा के विकास की सरकारी योजनाओं की नियियों के घन को हड्डप कर कालेज भूमि, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबंधतंत्रों के लोगों व उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा-छात्र-बेरोजगार-समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।
- (16) यह कि, जनपद के अधिकांश सरकारी-एडिड विद्यालयों में वास्तविक छात्र संख्या अत्यन्त कम होने के बावजूद अत्यधिक संख्या लिखकर शिक्षकों-कर्मचारियों को बिना कार्य वेतन भुगतान हो रहा है। अंकुश लगना चाहिए।
- (17) यह कि, जनपद के नगर क्षेत्र फर्लखाबाद में संचालित अधिकांश सरकारी-एडिड विद्यालयों के एक ही भवन के कक्षों में कन्या एवं बालकों के अनेक पश्चिक स्कूल डिग्रीकालेज संचालित हो रहे हैं इन अधिकांश स्कूलों में वास्तविक छात्र संख्या अत्यंत कम, शिक्षक संख्या अधिक व छात्रों का शैक्षिक स्तर अत्यंत निम्न है। तत्काल सुधार होना चाहिए।
- (18) यह कि, जनपद के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक स्कूलों में मिड-डे-मील में घपला अत्यन्त चरम पर है, मिड डे मील बनते समय छात्र संख्या रसोइयों एवं शिक्षकों को पता नहीं होती है, राशन टीला नहीं जाता है। मील वितरण से पूर्व पंजिका में इंट्री नहीं होती, छुट्टीकाल में फर्जी छात्र संख्या दर्ज की जाती है। तत्काल अंकुश लगना चाहिए।
- (19) यह कि, जनपद के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों में विशेष कर नगर क्षेत्र के स्कूलों में देखने को मिला है कि अधिकांश शिक्षक रसोइयों से पकड़ी एवं गुणवत्तायुक्त भोजन बनवाकर स्वयं स्कूलों में खाते हैं और बड़ी मात्रा में बचा भोजन रसोइया अपने घरों में ले जाती हैं जबकि विद्यालयों के वास्तविक छात्रों को उबले चावल, पतली दाल, रंगीन आलू खिलाकर कागजी खानापूर्ति की जाती है। कुछ स्कूलों में रसोइया रबड़ी-खोया बनाते मिले जिसके संबंध में बताया गया कि, शिक्षक घर ले जाएँगे। स्थितियों में दोषी अपराधियों की मांति तत्काल दंडित होने चाहिए।
- (20) यह कि, जिले के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों में रसोइयों एवं प्रबंध समिति के अध्यक्षों के पुत्र-पुत्री स्कूल के छात्र-छात्रा न होने के बावजूद शिक्षकों की मनमानी कृपा से पदासीन होकर शिक्षकों के फर्जीबाड़ा में शामिल हैं, जबकि वास्तविक छात्रों के माता-पिता इन पदासीनताओं से उपेक्षित हैं। तत्काल अंकुश लगना चाहिए।
- (21) यह कि, जनपद के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों की पी.टी.ए.समितियों के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं जिसमें अध्यक्ष पदों के लिए भोले-भाले लोगों को लालच में फँसाकर प्रधानाध्यापकों ने स्वयं फर्जी लोगों के हस्ताक्षर व अंगूठे छापकर फर्जीबाड़े किए हैं। तत्काल अंकुश लगना चाहिए।
- (22) यह कि, जिले के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक हाजिरी लगाकर विद्यालय शिक्षण कार्य छोड़ कर गायब हो जाते हैं एवं कुछ शिक्षक अनुपस्थित शिक्षकों की फर्जी आख्या दर्ज कर देते हैं। अंकुश लगना चाहिए।
- (23) यह कि, जिले के सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों में अनेक कक्ष होने एवं अनेक शिक्षक होने के बावजूद अधिकांश विद्यालयों में सभी छात्र-छात्राएं एक साथ एक ही कक्ष या बरामदे में बैठे या खेलते मिले हैं और शिक्षक-शिक्षकाएं पढ़ाने के स्थान पर आपस में हास-परिहास करते मिले हैं तथा जनपद के लगभग 90% विद्यालयों में छात्रों का शैक्षिक स्तर अत्यंत निम्न मिला है, जो अति विद्यारणीय एवं गंभीर तथ्य है। तत्काल सुधार होना चाहिए।

- (24) यह कि, जनपद में कुछ ऐसे भी विद्यालय मिले हैं जहाँ सकाम व्यक्ति धन-पद के प्रभाव में अपने निवास स्थान के विद्यालय में पदार्थीन हैं और उ.प्र. कर्मचारी आचरण सहित एवं शिक्षा मानकों की जबरदस्त उपेक्षा कर दयूशन-कोधिंग व्यापार सहित राजनीतिक दलों में सक्रिय होकर अवैध लाभ कमाने में जुटे हैं। अंकुश लगना चाहिए।
- (25) यह कि, जिले के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ छात्र संख्या पर्याप्त एवं शिक्षकों का अभाव है वहाँ मानदेय शिक्षकों में अधिकांश शिक्षण कार्य करने में योगदान नहीं देते हैं। तत्काल सुधार होना आवश्यक है।
- (26) यह कि, जिले के प्राइवेट एवं कॉर्पोरेट स्कूलों में बड़ी आयु के नर्सरी से कक्षा 5 के छात्र बने मिले हैं जिन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक पढ़ने के बावजूद जब उन्हें कोई योग्यता नहीं मिली तो पढ़ने-योग्यता के लिए यहाँ आकर निम्न कक्षाओं में एडमीशन लेना पड़ा और मन लगा कर पढ़ रहे हैं। जबाबदेह तत्काल बर्खास्त होने चाहिए।
- (27) यह कि, जिले के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों के अधिकांश छात्रों ने बताया कि यहाँ पढ़ाई न होने के कराण वह प्राइवेट स्कूलों के छात्र हैं, वहीं पढ़ने जाते हैं यदा-कदा यहाँ आकर खाना, ड्रेस, पुस्तकें ले जाते हैं। जब कोई अधिकारी आता है तो हमें प्राइवेट स्कूल से बुला लिया जाता है। जबाबदेह तत्काल बर्खास्त होने चाहिए।
- (28) यह कि, उक्त स्थिति में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शिक्षा मानक, शिक्षक तथा शिक्षण व्यवस्थाएँ आदि छात्र-छात्राओं एवं साधारण जन-समाज के लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप सिद्ध हो रही हैं। सुधार होना चाहिए।
- (29) यह कि, जिले के सरकारी-एडिड रस्कूलों में पढ़ाई न होने एवं छात्रों के अज्ञानी बने रहने के कारण कोई भी सकाम व्यक्ति अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में सरकारी रस्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है यहाँ तक कि सरकारी रस्कूलों में नौकरी करने वाले रसोइया, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, प्रबंधक, अधिकारी और नेता वेतन-भत्तों की गोटी रकमें लेने के बावजूद अपने प्रतिपाल्यों को इन विद्यालयों पढ़ाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर अपने प्रतिपाल्यों का भविष्य नष्ट नहीं करना चाहता है। जो अति विचारणीय तथ्य है। तत्काल सुधार होना चाहिए।
- (30) यह कि, मानक विहीन शिक्षा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक, शिक्षण, प्रवटीकल्स, पुस्तकालय, प्राचार्य और कर्मचारियों का अभाव एवं अमानकता से शिक्षा व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। नकल, दयूशन, बिना पाठन विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का आर्थिक शोषण होता है। शिक्षण संस्थाओं में दिखावा ज्यादा होता है तथा अनियन्त्रिताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण अति आवश्यक है। शिक्षा नवीन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण आवश्यक हो। द्रस्ट, सोसाइटी, वाणिज्य, सरकारी-आदेश एवं शैक्षिक व्यवस्था के वैधानिक प्रवधानों का अनुपालन होना चाहिए। प्रबंधतंत्र में अभिभावकों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों, स्थानीय साधारण-जनता को ही सदस्य-अध्यक्ष-प्रबंधक बनाया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र में परिवारवादी, जातिवादी, धर्मवादी, राजनीतिज्ञ, वेतनभोगियों को पदाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र का शैक्षिक हस्तक्षेत्र एवं कालेज संस्पति का दुरुपयोग पर अंकुश प्रबंधतंत्र को चन्दे, दान, अनुदान, आय, शुल्क धन सरकारी कोषागार में जमा जमा होना चाहिए। शिक्षक-कर्मचारियों को वेतन-भत्ते का भुगतान कोषागार चैक से वितरित होना चाहिए। कालेज आडिट नियमित एवं जबाबदेह होना चाहिए। छात्रविहीन रस्कूल बंद होने चाहिए। राजनीति करने वाले एवं शिक्षण कार्य न करने वाले शिक्षकों का बर्खास्त प्रबंधतंत्र, बजट विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। जिला प्रशासन-शिक्षा प्रशासन की जबाबदेही होनी चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु शिक्षा के मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन जरूरी है।

अतः अनुरोध सहित सुझाव है कि, उक्त तथ्यों पर गमीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त एडिड-अनएडिड, पब्लिक विद्यालयों में व्याप्त अनियन्त्रिताओं पर अंकुश लगाकर छात्र विहीन एवं शिक्षण विहीन सरकारी-एडिड विद्यालय तत्काल बंद किए जाने चाहिए। धार्मिक, भारतीय, अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नाम से गैर पंजीकृत विद्यालयों पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। शिक्षकों-प्रबंधतंत्रों के फर्जीबाड़ों, फर्जी छात्र संख्या तत्काल अंकुश लगाकर मानकीय व्यवस्था अनुरूप शैक्षिक जगत में गरिमामयी योगदान दिया जाना चाहिए। आदर सहित।

दिनांक 15-04-2017

मध्य देश
(डॉ. नीरू सिंह तोमर)
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो
विश्वविद्यालय, दिल्ली-110002
DR. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

R. KOTWALI ROAD <209601>

▲ RI1542093055IN

Counter No:1-OP-Code:02

To: FROM I.K. SACHIV - MARYAMIC UP BOARD

LIC#0011 PTN#226091

EECE-DR NEETI SINGH - POST DIRECTORIAL FELLOW UGC DELHI

FROM DR. REE
MIL 99-175

Wt:20grams,
PS:22.00, ,15/04/2017 ,15:01 18-4-2017 NHO 6PO
<<Track on www.indiapost.gov.in

ମୋଡ୍ଯୁଲ୍ସ/ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ / ୬୦୧ / ୨୯.୧୫.୦୪.୨୦୧୭

二四

प्रस्तुति सचिव माध्यमिक शिक्षा,

ਤੁਹਾ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਂਥੀ ਭਵਨ ਲਖੜ੍ਹ।

विषय: फर्स्टखावाद के स्कूलों में एक भवन में संचालित माध्यमिक, डिग्री, पब्लिक स्कूलों पर अंकुश लगाने हेतु महोदय

फरुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण एवं जनसम्पर्क के द्वारा ज़िले के मान्यता प्राप्त स्कूलों के एक ही भवनों में सी.बी.एस.ई.यू.पी.बोर्ड परिषदीय स्कूलों सहित डिग्री-लॉ-बी.एड.कालेज कालेज एवं पब्लिक स्कूलों का संचालन कर अवैध धन उगाही होते भिली हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु अधोलिखित तथ्य व सुझाव सादर प्रस्तुत हैं।

ह तोमर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

योग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

मोबाइल-9389766228

गोपनीय एवं अति आवश्यकीय

— 1 —

(P.T.O)

RL KOTWALI ROAD (209601)
A RU542093069IN
Counter No:1, OP-Code:02
To: SHIKSHA NIDESAK, MADIYAMIC UP BOARD
Allahabad H.O, PIN:211001
From: DR. NEETU SINGH, POST DIRECTORIAL FELLOW UGC DELHI
Wt:20grams,
PS:22.00, , 15/04/2017 , 15:02
<Track on www.indiapost.gov.in> Dharmsala-17-4-2017
Allahabad-17-4-2017

011



सिंह तोमर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

नुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक: १०५/ अप्रैल / 2017 / दि. 15.04.2017
सेवा में,

मोबाइल-9389766228

गोपनीय एवं अति आवश्यकीय

सचिव/निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

विषय: फर्लखाबाद के स्कूलों में एक भवन में संचालित माध्यमिक डिग्री पब्लिक स्कूलों पर अंकुश लगाने हेतु महोदय,

फर्लखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण एवं जनसम्पर्क के दौरान जिले के मान्यता प्राप्त स्कूलों के एक ही भवनों में सी.बी.एस.ई.यू.पी.बोर्ड परिषदीय स्कूलों सहित डिग्री-लॉ-बी.एड. कालेज कालेज एवं पब्लिक स्कूलों का संचालन कर अवैध घन उगाही होते गिरी हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु अधोलिखित तथ्य व सुझाव सादर प्रस्तुत हैं।

(1) यह कि, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित जनसामान्य के कल्याण के लिए शैक्षिक योजनाओं के अध्ययन उपरान्त मैंने उत्तर प्रदेश के जनपद फर्लखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की शैक्षिक समस्याओं के निरीक्षण हेतु 6 नगरों के 117 वार्ड एवं 7 ब्लाकों की 513 ग्रामसभाओं में 315 ग्रामसभाओं का भ्रमण-जनसंपर्क कर जिले के केंद्रीय, राजकीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कस्तूरबा, मूकबधिर, आश्रम पद्धति, स्ववित्त, एडिड, अनएडिड स्कूलों तथा प्री-इंशियो-आंगनबाड़ी केंद्रों, डिग्री कालेजों, पालीटकिनक, आई.टी.आई., पब्लिक स्कूलों मान्यता-गैर मान्यता विद्यालयों, मदरसों, ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों तथा बस्तियों के शिक्षित-अशिक्षित बच्चों, किशोरों, युवा, प्रीढ़, वृद्ध स्त्री-पुरुषों से बार्ता कर उनकी शिक्षा और निरक्षरता की वास्तविक स्थिति एवं शैक्षिक समस्याओं का मूल्यांकन किया। जिसके परिणामस्वरूप 90-95% कृषक-मजदूर निरक्षर मिले। ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 85-95% स्त्रियां, 80-90% पुरुष, शहरी क्षेत्रों में लगभग 80-90% स्त्रियां, 70-80% पुरुष निरक्षर मिले। दरिद्र बस्तियों में यह स्थिति और भी भयावह मिली जहाँ की अशिक्षा और निरक्षरता 95-100% बनी हुई है। अध्ययनरत छात्र, किशोर-किशोरी, प्रशिक्षित एवं शिक्षा डिग्री-डिप्लोमा धारियों की शैक्षिक स्थिति में बड़ी अज्ञानता व निरक्षरता की झलक दिखाई दी। निम्न से उच्च शिक्षित बच्चों, किशोरों, युवाओं को सूर्योदय एवं सूर्यास्त की दिशाओं व अकाश ज्ञान नहीं है। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद-प्रदेश के निवासी हैं। लिखना-पढ़ना उनके वश की बात नहीं। निरक्षरता और अज्ञानता उनके पतन की नियत बनी हुई है।

(2) यह कि, समाज के प्रत्येक व्यक्ति और उसके सभी प्रतिपाल्यों को शिक्षित करने के लिए फर्लखाबाद जिले में बहुत बड़ी संख्या में इंटरकालेज, डिग्रीकालेज, परिषदीय, केंद्रीय, नवोदय, कस्तूरबा, आश्रम पद्धति आदि विद्यालय सहित आंगनबाड़ी, सर्वशिक्षा केंद्र तथा एडिड विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें प्रधानाचार्य, शिक्षक, गोस्ट शिक्षक, शिक्षामित्र, प्रेरक, कार्यकारी, सहायिका, अनुदेशक, कोआर्डिनेटर, शिक्षाविकारी सहित रसोइया, सेवक, स्वीपर, लिपिक, आदि बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। जिनके बतन-भत्तों, छात्रवृत्तियों, भवनों तथा मिड-डे-मील, दूध, फल, वस्तों, ड्रेसों आदि पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय हो रहा है। इसके बावजूद उ.प्र.के फर्लखाबाद जनपद के अधिकांश सरकारी स्कूलों में पढ़ाई न होने से कोई भी अपने प्रतिपाल्यों को इन स्कूलों में पढ़ा कर भविष्य बर्बाद करने हेतु तैयार है। सरकारी सुविधा प्राप्त स्कूलों में पढ़ने-पढ़ाने वाले छात्रों का पूर्णतया अभाव है। इनमें जो छात्र पंजीकृत हैं उनमें अधिकांश छात्र या तो फर्जी हैं अथवा अज्ञानी हैं। इनमें कार्यरत लगभग सभी रसोइयों एवं पंजीकृत छात्रों तथा अभिभावकों में अधिकांश की निरक्षरता और अशिक्षा फर्लखाबाद जनपद की शिक्षा की वास्तविकता उजागर करती है।

(3) यह कि, जिले के केंद्रीय, राजकीय एवं परिषदीय प्राथमिक, उच्चतर, माध्यमिक एवं एडिड विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षक, सेवक, रसोइया, स्वीपर, अनुदेशक, कोआर्डिनेटर कार्यरत हैं। शैक्षिक व्यवस्था हेतु स्कूल समितियां एवं पी.टी.ए.बने हैं। समितियों की सदस्यता व गठन में पदाधिकारियों-सदस्यों के प्रतिपाल्य का छात्र होना आवश्यक है। जिनकी निगरानी-देखरेख का जबाबदेह उत्तरादायित्व है। इनके प्रस्ताव-अनुमोदन विना कोई भी व्यवस्था-मुगलान पूर्णतया प्रति बंधित है। छात्रों को दूध, फल, भोजन, वस्त्र, पुस्तकें, वस्ते, तीलिया, साबुन जरूरी वस्तुओं सहित मानकीय शिक्षा-पाठ्यक्रम एवं शिक्षण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। जिसका लेखा प्रत्येक शिक्षक की डायरी पर दैनिक दर्ज होना जरूरी है जिसके आधार पर ही शिक्षकों का बतन मुगलान होता है। औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। जिसकी जबरदस्त उपेक्षा है।

(4) यह कि, जनपद के अधिकांश बड़े-बड़े स्कूल भवन व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इन भवनों में पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ देखने को मिल रहा है। यथा स्कूल भवन-सम्पत्ति का दुरुपयोग, धनउगाही, परीक्षा में नगल, प्रबंधकों के निवास, निजी कृषि-व्यापार, राजनीतिक अखाड़े, दायतों के भंडारे, मिड-डे-मील का दुरुपयोग, पौणालिक स्थलों एवं पार्कों की भाँति बच्चों की उछल-कूद, शिक्षकों-रसोइयों के गुट-गपण, दृश्यान, मोबाइल पर गेम्स एवं लम्बी बातचीत आदि के नजारे दिखते हैं। कार्यरत अधिकांश शिक्षक डिग्री साइन करने के लिए यदा-कदा स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाए विना चले जाते हैं। अनेक शिक्षक घर बैठे विना शिक्षण कार्य बतन लेकर राजनीति-व्यापार में सक्रिय हैं।

(P.T.C)

अनेक शिक्षक बेरोजगारों को अपने वेतन से कुछ पैसा देकर पढ़वा रहे हैं। मिड-डे-मील के रंगीन-चावल छात्रों को एवं मानकीय भोजन-दूध-फल शिक्षक, रसोइयाँ, प्रबंधकों द्वारा चट कर छात्रों की फर्जी उपस्थित दर्ज कर ली जाती है। मिड-डे-मील का बचा राशन बंदरवाट कर घर ले जाया जाता है। जिससे सिद्ध होता है कि मिड-डे-मील व्यवस्था खत्म होने पर छात्र-जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु शिक्षक-प्रबंधक व उनके परिजन भूखे अवश्य रह जाएंगे।

- (5) यह कि, जिले के स्कूलों में रसोइया व स्कूल समितियों के अध्यक्ष पदों पर कार्यरत अधिकांश के बच्चे स्कूल के छात्र नहीं हैं। इनमें अधिकांश अपने परिजनों सहित समाजवादी-विधवा-वृद्ध पेशन धारी होने के बावजूद प्रबंधक व शिक्षकों की कृपा से पदासीन हैं। अधिकांश रसोइया स्कूल में खाना न बनाकर शिक्षकों-प्रबंधकों के घर पर काम करती है। रसोइया कार्यों में दलितों का पूर्णतया अभाव है और जो दलित रसोइया हैं उनसे स्कूलों में खाना न बनाकर स्वीपर काम लिया जा रहा है। मिड-डे-मील की बड़ी मात्रा रसोइया अपने घर ले जाती है और परिजनों सहित पशुओं को खिलाती है। अनेक रसोइयों के पति, बेटे-बहुए एवं शिक्षक-प्रबंधकों के नौकर स्कूल समितियों के अध्यक्ष बने हुए हैं जो बिना बैठक-प्रस्तावों के फर्जी अनुमोदनों से गंभीर वित्तीय अनियमितताएं करने में जुटे हुए हैं। स्कूल समितियों के रैकेट्स में शिक्षकों के फर्जीबाढ़े अति गतिशील हैं। सरकारी स्कूलों में सबसे आश्वर्य जनक बात यह है कि इनमें कार्यरत लगभग सभी रसोइया एवं उनके परिजन तथा उनके लगभग सभी प्रतिपात्य निरक्षर हैं। बड़ी संख्या में निरक्षरता फर्जी साक्षरता का प्रमाण है। इसके बावजूद शिक्षकों, प्रेरकों, शिक्षामित्रों, कार्यक्रियों की पदासीनता वेतन-भत्ते जारी है जबकि जनपद के अधिकांश व्यक्ति अशिक्षा एवं निरक्षरता के शिकार हैं। जो देश के लिए कलंक है।
- (7) यह कि, जिले के अधिकांश एडिड इंटर कालेज में पब्लिक स्कूलों का संचालन हो रहा है जिनकी मान्यता एवं सम्बद्धता सी.बी.एस.सी., यू.पी.बोर्ड, परिषदीय हिन्दी-अंग्रेजी माध्यम से बताकर भारी धन उगाही की जा रही है। सरकारी एडिड कालेजों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक अनेक डिग्री-पब्लिक स्कूलों को संचालित कर अवैध लाभ कमाने में जुटे हैं। एडिड कालेजों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक एवं कर्मचारी अनेक निजी विद्यालयों के संचालक निदेशक, प्रबंधक, राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, दलाल, शिक्षा माफिया हैं जिनका निवास संबंधित स्कूलों के पास न होकर अन्य गांव-नगर में हैं और वे ड्यूटी से पर नहीं जाते। उनकी जगह अन्य लोग ड्यूटी खानापूर्ति करते हैं। फर्जी छात्रों का पंजीकरण, छात्रों-किशोरों को शिक्षण-प्रशिक्षण पूर्णतया फर्जी हो रहा है।
- (8) यह कि, अधिकांश एडिड स्कूलों की प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों ने अपने परिजनों पुत्र, पुत्री, बहू, दामाद एवं सगे-संबंधी हितबद्ध लोगों को चपरासी-लिपिक पदों पर नियुक्त कर लेने के बावजूद विरासत के आधार दामाद एवं सगे-संबंधी से पदासीन हैं और वे ड्यूटी से पर नहीं जाते। उनकी जगह अन्य लोग ड्यूटी खानापूर्ति करते हैं।
- (9) यह कि, जिले के मोहम्मदाबाद में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय अनुसूचित एवं जनजाति के दरिद्र बच्चों के लिए है तथा कुछ सीटों पर दरिद्रों के बच्चों को भी प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिसका लाभ पात्र दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्र-अपात्रों का दिया जा रहा है। वास्तविक पात्र दरिद्र वंचित-निरक्षर हैं।
- (10) धार्मिक स्थलों एवं अल्पसंख्यकों के नाम पर संचालित स्कूलों में धर्म व शिक्षा का दुरुपयोग होकर छात्र-छात्राओं को अधिवेश्यासी का अंधानुकरण करने हेतु बाब्द किया जाता है। दान-अनुदान एवं छात्रवृत्तियों को हड्पकर मठाधीश व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। फर्जीबाढ़े पर अनेक अधिकांश मदरसों की शिक्षा अति संदिग्ध एवं समाज विरोधी है।
- (11) यह कि, जिले के गैर पंजीकृत ईश्वरीय विश्वविद्यालयों का संचालन अवैध है। नरक, भूत-प्रेतों का भय एवं आत्म-जीवन उद्धर का लालच देकर किशो-किशोरियों-प्रीडों को फसाकर लाया जाता है। पूजा-पाठ कर्मकांडों से जन-समर्थन प्राप्त कर फसे लोगों को रात्रि के अंधेरे में इधर-उधर न जाने कहाँ ले जाया जाता है। यहाँ किशोरियों को चिंडियाघर की भाँति रखा है तथा अपराध जगत में सक्रिय व्यक्ति को ईश्वर बताकर उनसे युवतियों का शोषण-संसर्ग उपरांत की भाँति रखा है। यहाँ की जीवन व्यतीत करने हेतु बाब्द किया जाता है। इनकी गतिविधियां व्यक्ति-समाज के लिए अत्यंत घातक हैं।
- (12) यह कि, जिले में संचालित पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों में अधिकांश ऐसे छात्र हैं जो सरकारी स्कूलों में पंजीकृत हैं या रहे हैं एवं उनके अभिभावक सरकारी योजनाओं का लाभ यथा समाजवादी, विधवा, बिकलांग पेशन सहित दरिद्र कल्याण हेतु बनी योजनाओं का लाभ लेकर सरकारी स्कूलों में नौकरी-अध्यक्षता कर रहे हैं। निजी स्कूलों के छात्रों से सम्बन्धित विद्यार्थीय तथ्य यह है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा पूर्ण करने के बावजूद जब छात्रों को निरक्षर होना पड़ता है तो उन्हें पुनः पब्लिक स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है और बड़ी उम्र में भी निम्न शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
- (13) यह कि, फर्लखाबाद जनपद में संचालित मा.शि.प. इलाहाबाद से सम्बद्ध तथा मान्यता प्राप्त एडिड एवं स्ववित्तपोषित भाव्यमिक विद्यालयों की अधिकांश प्रबंध समितियों के पदाधिकारी-सदस्य स्थानीय समुदायों के जन-साधारण, शिक्षाविद, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन योजना के मानकानुरूप हैं। शैक्षिक मानक प्रतिकूल प्रबंधतंत्रों के पदाधिकारी-सदस्य परिजन भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, सास-ससुर, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, स्वजातीय, नौकर, नित्र, साझेदार, गैर-जनपदीय आपसी हितबद्ध हैं। इन स्कूलों के लोग अपने निजी लाभ के लिए व्यापार की भाँति सार्वजनिक शिक्षा को दूषित कर रहे हैं। सोसाइटी एक्ट-1856 एवं शिक्षा अधिनियम की उपेक्षा कर स्व.लाभ हेतु परिजनों, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, नौकर, स्व.जातीय, साझेदार आपसी हितबद्धों को प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारियों के पदों पर आसीन कर एवं कालेजों में शिक्षणकार्य कराए बिना छात्र-छात्राओं को मनवाहे सर्टीफिकेट का लालच देकर अवैध वसूली व

धन उगाही एवं व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। स्ववित्तपोषी कालेज 'नकल-ठेकों' एवं डिग्री विक्री के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था, प्राधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, लैब, लाइब्रेरी आदि अमानक हैं तथा छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगारों से मनमाना धन वसूलने के बावजूद शिक्षण नहीं होता है। स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता संबंधी पत्रावलियों में औपचारिकतावश जो प्राधानाचार्य, शिक्षक अनुमोदित होते हैं उनमें अधिकांश फर्जी हैं। इनका वेतन भुगतान के बैंक खातों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं जारी हैं। जिसके कारण पात्र व्यक्ति रोजगार से विचित हो रहे हैं। स्ववित्तपोषी कालेजों में अहं शिक्षक को मानकीय वेतन नहीं दिया जाता है। प्रबंधतंत्रों के लोग अहं शिक्षक 'ट्यूशनबाजी' में संलिप्त हैं।

- (14) यह कि, जिले का डायट केंद्र रजलामई में संचालित हो रहा है। केंद्र के प्राचार्य, शिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थी यदाकदा विद्यालय आते हैं। प्राचार्य के केंद्र आने की सूचना मोबाइल पर सर्कुलेट होती है तभी स्टाफ-शिक्षक विद्यालय आते हैं।
- (15) यह कि, शिक्षा बोर्ड, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल एवं विकित्सीय, विधि कालेज तथा शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा-माफियाओं द्वारा प्रबंधन के नाम पर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है और कागजी खानापूर्ति कर शिक्षा के उद्देश्यों को समाप्त कर अवैध वसूली कर भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रही है। स्कूलों के प्रबंधतंत्रों एवं शिक्षण व्यवस्था के अवलोकन, शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक कालेज सम्बद्धता-मान्यता पत्रावली में फर्जी, अवैध, अमानक ग्रामक तथ्यों-प्रपत्रों एवं शपथ-पत्रों को जोड़-तोड़ कर मनमाने दंग से प्रमाणित कर शामिल कर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं तथा शिक्षा विभाग बनाकर विद्यालयों-बोर्ड्स की पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं। जिसके माध्यम से शिक्षा के विकास की सरकारी योजनाओं की निधियों के धन को हड्डप कर कालेज भूमि, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबंधतंत्रों के लोगों व उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा-छात्र-बेरोजगार-समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।
- (16) यह कि, जनपद के अधिकांश सरकारी-एडिड विद्यालयों में वास्तविक छात्र संख्या अत्यन्त कम होने के बावजूद अत्यधिक संख्या लिखकर शिक्षकों-कर्मचारियों को बिना कार्य वेतन भुगतान हो रहा है। अंकुश लगना चाहिए।
- (17) यह कि, जनपद के नगर क्षेत्र फर्स्टखाबाद में संचालित अधिकांश सरकारी-एडिड विद्यालयों के एक ही भवन के कक्षों में कन्या एवं बालकों के अनेक पब्लिक स्कूल डिग्रीकालेज संचालित हो रहे हैं इन अधिकांश स्कूलों में वास्तविक छात्र संख्या अत्यंत कम, शिक्षक संख्या अधिक व छात्रों का शैक्षिक स्तर अत्यंत निम्न है। तत्काल सुधार होना चाहिए।
- (18) यह कि, जनपद के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक स्कूलों में मिड-डे-मील में घपला अत्यन्त चरम पर है, मिड डे भील बनाते समय छात्र संख्या रसोइयों एवं शिक्षकों को पता नहीं होती है, राशन तौला नहीं जाता है। मील वितरण से पूर्व पंजिका में इंट्री नहीं होती, छुट्टीकाल में फर्जी छात्र संख्या दर्ज की जाती है। तत्काल अंकुश लगना चाहिए।
- (19) यह कि, जनपद के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों में विशेष कर नगर क्षेत्र के स्कूलों में देखने को मिला है कि अधिकांश शिक्षक रसोइयों से पकड़ी एवं गुणवत्तायुक्त भोजन बनवाकर रखयं स्कूलों में खाते हैं और बड़ी मात्रा में बचा भोजन रसोइया अपने घरों में ले जाती हैं जबकि विद्यालयों के वास्तविक छात्रों को उबले चावल, पतली दाल, रंगीन आलू खिलाकर कागजी खानापूर्ति की जाती है। कुछ स्कूलों में रसोइया रबड़ी-खोया बनाते मिले जिसके संबंध में बताया गया कि, शिक्षक घर ले जाएँगे। स्थितियों में दोषी अपराधियों की भाँति तत्काल दंडित होने चाहिए।
- (20) यह कि, जिले के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों में रसोइयों एवं प्रबंध समिति के अध्यक्षों के पुत्र-पुत्री स्कूल के छात्र-छात्रा न होने के बावजूद शिक्षकों की मनमानी कृपा से पदासीन होकर शिक्षकों के फर्जीबाड़ा में शामिल हैं, जबकि वास्तविक छात्रों के माता-पिता इन पदासीनताओं से उपेक्षित हैं। तत्काल अंकुश लगना चाहिए।
- (21) यह कि, जनपद के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों की पी.टी.ए.समितियों के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं जिसमें अध्यक्ष पदों के लिए भोले-भाले लोगों को लालच में फंसाकर प्रधानाध्यापकों ने रखयं फर्जी लोगों के हस्ताक्षर व अंगूठे छापकर फर्जीबाड़े किए हैं। तत्काल अंकुश लगना चाहिए।
- (22) यह कि, जिले के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक हाजिरी लगाकर विद्यालय शिक्षण कार्य छोड़ कर गायब हो जाते हैं एवं कुछ शिक्षक अनुपस्थित शिक्षकों की फर्जी आख्या दर्ज कर देते हैं। अंकुश लगना चाहिए।
- (23) यह कि, जिले के सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों में अनेक कक्ष होने एवं अनेक शिक्षक होने के बावजूद अधिकांश विद्यालयों में सभी छात्र-छात्राएँ एक साथ एक ही कक्ष या बारामदे में बैठे या खेलते मिले हैं और शिक्षक-शिक्षकाएं पढ़ाने के स्थान पर आपस में हास-परिहास करते मिले हैं तथा जनपद के लगभग 90% विद्यालयों में छात्रों का शैक्षिक स्तर अत्यंत निम्न मिला है, जो अति विचारणीय एवं गंभीर तथ्य है। तत्काल सुधार होना चाहिए।

- (24) यह कि, जनपद में कुछ ऐसे भी विद्यालय मिले हैं जहाँ सक्षम व्यक्ति धन-पद के प्रभाव में अपने निवास स्थान के विद्यालय में पदासीन हैं और उ.प्र. कर्मचारी आचरण सहित एवं शिक्षा मानकों की जबरदस्त उपेक्षा कर द्यूशन-कोचिंग व्यापार सहित राजनीतिक दलों में सक्रिय होकर अवैध लाभ कमाने में जुटे हैं। अंकुश लगना चाहिए।
- (25) यह कि, जिले के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ छात्र संख्या पर्याप्त एवं शिक्षकों का अभाव है वहाँ मानवेय शिक्षकों में अधिकांश शिक्षण कार्य करने में योगदान नहीं देते हैं। तत्काल सुधार होना आवश्यक है।
- (26) यह कि, जिले के प्राइवेट एवं कॉर्पोरेट स्कूलों में बड़ी आयु के नर्सरी से कक्षा 5 के छात्र बने मिले हैं जिन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक पढ़ने के बावजूद जब उन्हे कोई योग्यता नहीं मिली तो पढ़ने-योग्यता के लिए यहाँ आकर निम्न कक्षाओं में एडमीशन लेना पड़ा और मन लगा कर पढ़ रहे हैं। जबाबदेह तत्काल बर्खास्त होने चाहिए।
- (27) यह कि, जिले के अधिकांश सरकारी-एडिड माध्यमिक विद्यालयों के अधिकांश छात्रों ने बताया कि यहाँ पढ़ाई न होने के कारण वह प्राइवेट स्कूलों के छात्र हैं, वहीं पढ़ने जाते हैं यदा-कदा यहाँ आकर खाना, ड्रेस, पुस्तकें ले जाते हैं। जब कोई अधिकारी आता है तो हमें प्राइवेट स्कूल से बुला लिया जाता है। जबाबदेह तत्काल बर्खास्त होने चाहिए।
- (28) यह कि, उक्त स्थिति में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शिक्षा मानक, शिक्षक तथा शिक्षण व्यवस्थाएँ आदि छात्र-छात्राओं एवं साधारण जन-समाज के लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप सिद्ध हो रही हैं। सुधार होना चाहिए।
- (29) यह कि, जिले के सरकारी-एडिड स्कूलों में पढ़ाई न होने एवं छात्रों के अज्ञानी बने रहने के कारण कोई भी सक्षम व्यक्ति अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में नौकरी करने वाले रसोइया, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, प्रबंधक, अधिकारी और नेता वेतन-भर्तों की मोटी रकमें लेने के बावजूद अपने प्रतिपाल्यों को इन विद्यालयों पढ़ाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर अपने प्रतिपाल्यों का भविष्य नष्ट नहीं करना चाहता है। जो अति विचारणीय तथ्य है। तत्काल सुधार होना चाहिए।
- (30) यह कि, मानक विहीन शिक्षा ने अनेक सामस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक, शिक्षण, प्रवटीकल्स, पुस्तकालय, प्राचार्य और कर्मचारियों का अभाव एवं अमानकता से शिक्षा व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। नकल, द्यूशन, बिना पाठन डिग्री-उपाधि वितरण व्यवसायों से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। शिक्षण संस्थाओं में दिखावा ज्यादा होता है तथा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का आर्थिक शोषण होता है। शिक्षण संस्थाओं का संचालन भारी वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण अति आवश्यक है। शिक्षा नवीन प्रवृत्तियों सहित व्यवसाय की ओर उन्मुख हो एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए तथा राज्य और शिक्षा के निजीकरण पर नियंत्रण आवश्यक हो। ट्रस्ट, सोसाइटी, वाणिज्य, सरकारी-आदेश एवं शैक्षिक व्यवस्था के वैधानिक प्रवधानों का अनुपालन होना चाहिए। प्रबंधतंत्र में अभिभावकों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों, स्थानीय साधारण-जनता को ही सदस्य-अध्यक्ष-प्रबंधक बनाया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र में परिवारवादी, जातिवादी, धर्मवादी, राजनीतिज्ञ, वेतनभोगियों को पदाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र का शैक्षिक हस्तक्षेत्र एवं कालेज संस्पति का दुरुपयोग पर अंकुश लगना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में मात्र मानकपूर्ण शिक्षक, शिक्षण, वेतन भुगतान, नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। शिक्षक-कर्मचारियों को वेतन-भत्ते का भुगतान कोषागार थैक से वितरित होना चाहिए। कालेज आडिट नियमित एवं जबाबदेह होना चाहिए। छात्रविहीन स्कूल बंद होने चाहिए। राजनीति करने वाले एवं शिक्षण कार्य न करने वाले शिक्षकों का बर्खास्त किया जाना चाहिए। द्यूशन, नकल एवं अवैध वसूली तत्काल बंद होनी चाहिए। मान्यता, पाठ्क्रम, शिक्षक, कर्मचारी, प्रबंधतंत्र, बजट विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। जिला प्रशासन-शिक्षा प्रशासन की जबाबदेही होनी चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु शिक्षा के मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन जरूरी है।

अतः अनुरोध सहित सुझाव है कि, उक्त तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त एडिड-अनएडिड, पब्लिक विद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाकर छात्र विहीन एवं शिक्षण विहीन सरकारी-एडिड विद्यालय तत्काल बंद किए जाने चाहिए। धार्मिक, भारतीय, अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नाम से गैर पंजीकृत विद्यालयों पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। शिक्षकों-प्रबंधतंत्रों के फर्जीबाड़ों, फर्जी छात्र संख्या के आधार पर नियुक्त, शिक्षक-कर्मी वेतन, निजी आवास के पास वाले स्कूल में तैनाती, शिक्षामानक एवं छात्रहित उपेक्षा पर तत्काल अंकुश लगाकर मानकीय व्यवस्था अनुरूप शैक्षिक जगत में गरिमामयी योगदान दिया जाना चाहिए।

आदर सहित।

दिनांक 15-04-2017

भवदीया

(डॉ. नीतू सिंह तोमर)

पोर्ट डॉक्टरल केलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई-दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH

Post Doctoral Fellow

University Grant Commission, Delhi



aplicate R.L BAZAAR BAZAR (209601)
A RU5335806551IN
Counter No:1,OP-Code:02
To:KULATHIPATI,UP SASAH
LUCKNOW, PIN:226001
From:DR NEETU SINGH , DELHI

R.L BAZAAR BAZAR (209601)
A RU5335806671IN
Counter No:1,OP-Code:02
To:SACHIVE UDH SHIKSHA,UP SASAH
LUCKNOW, PIN:226001
From:DR NEETU SINGH , DELHI
Date:20/03/2017
Time:11:30

R.L BAZAAR BAZAR (209601)
A RU5335806721IN
Counter No:1,OP-Code:02
To:SACHIVE UDH SHIKSHA,UP SASAH

R.L BAZAAR BAZAR (209601)
A RU5335806861IN
Counter No:1,OP-Code:02
To:MANVU SANAM , V MANT,
NEW DELHI

R.L BAZAAR BAZAR (209601)
A RU5335807091IN
Counter No:1,OP-Code:02
To:SRI HANUMODA DANDIKAJI
NEW DELHI, PIN:110001
From:DR NEETU SINGH , DELHI
Date:20/03/2017 , 11:42
Time:22.00
Link:www.indiapost.gov.in

17- 3-2017 140

नंह तोमर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रक: १९८ / मार्च / 2017 / दि. 14.03.2017
सेवा मे. १९१-१९६

मोबाइल-9389766228
अति गोपनीय एवं आवश्यकीय

प्रधानमंत्री जी, अध्यक्ष-सचिव यूजी.सी./ कैदीय शिक्षा मंत्री / कुलाधिपति / मुख्यमंत्री / सचिव उच्चशिक्षा,
भारत सरकार नई-दिल्ली / उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
घण्य-उ. प्र. के उच्चशिक्षा संस्थानों में मानकीय व्यवस्था की उपेक्षाओं से प्रभावित छात्र हितों के सुरक्षार्थ अनुरोध पत्र।

दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसम्पर्क के दौरान मुझे उच्चशिक्षा संस्थानों में पंजीयन, उपरिधिति, अध्ययन, न. डिग्री-डिप्लोमा किराया-व्यापार, अवैध वसूली, अमानक प्रबंधतंत्र, सरकारी-सार्वजनिक धन-सम्पत्ति का दुरुपयोग गमीर अनियमिताएं प्राप्त हुई हैं। जिससे संबंधित तथ्यों का निम्नलिखित संक्षिप्त रूप आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है।

मह कि, कोंद एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित जनता के कल्याण के लिए शैक्षिक योजनाओं एवं मानकों के अध्ययन उपरान्त मैंने दरिद्र व्यक्तियों की शैक्षिक समस्याओं के निरीक्षण हेतु उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस हस्तियालय, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जौनपुर विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय आदि की फैकल्टीज एवं संबद्ध डिग्री कालेजों के छात्रों, शिक्षकों, विभागाध्यक्षों, सर्वस्कालर्स, अभिभावकों एवं सामान्य जनता से बातचीत की तथा शिक्षा संस्थानों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था खी। जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन-अध्यापन एवं मानकीय व्यवस्था बुरी तरह से दृष्ट है। स्ववित्तपोषी कालेजों के अप्रूढ अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जो अपने नेट-पीएच.डी. प्रमाणपत्रों का रु.20-35 जार वार्षिक किराया लेकर अनेक स्ववित्तपोषी कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अपूर्व कराया है, परन्तु पढ़ाने ही नहीं जाते हैं और अनेक रिसर्च-अध्यापक-नौकरी का वेतन भी ले रहे हैं। अनेक अपूर्व शिक्षक अपनी डिग्री को कराए पर देकर अनेक विश्वविद्यालयों-स्ववित्तपोषी संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अपूर्व होकर प्रमाणपत्रों का व्यापार कर लाम कमाने में जुटे हुए हैं। इनमें अनेक ऐसे भी मिले जो विश्वविद्यालय-यूजी.सी. से जे.आर.एफ. लेकर अपूर्व शिक्षक बने हैं और इनसे संबंधित अनेक गाइड-फैकल्टी-विश्वविद्यालय इनकी फैलोशिप-छात्रवृत्ति से हिस्सा लेकर जे.आर.एफ.को एस.आर.एफ. में परिवर्तन आदि प्रमाणपत्र देकर अवैध लाम ले रहे हैं। किराए पर डिग्री-डिप्लोमा के व्यापक व्यापार से सामान्य छात्र-छात्राओं प्रशिक्षा व शिक्षा डिग्री-डिप्लोमा घारियों की शैक्षिक स्थिति में बड़ी अज्ञानता, अकुशलता एवं असंतोषता की झलक दिखती है। अकुशलता और अज्ञानता छात्र-भविष्य के पतन की नियत बनी हुई है।

मह कि, छत्रपति शाहजी महाराज यि.वि. कानपुर से सम्बद्ध-मान्यता प्राप्त एडिड व स्ववित्तपोषी महाविद्यालयों विशेषकर कर्लखाबाद जिले के कालेजों की अधिकांश प्रबंध समितियों के पदाधिकारी व सदस्य रथानीय समुदायों के जन-साधारण, शिक्षाविद, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही इनकी प्रशासन योजनाएं मानकानुसूप हैं। शिक्षा मानक प्रतिकूल अधिकांश प्रबंधतंत्रों के लगभग सभी पदाधिकारी-अध्यक्ष-सचिव-सदस्य च्यवेरे-समेरे भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, सास-सासुर, समधी-समधिन, बहू-भतीजे, साले-बहनोई, स्वजातीय, नौकर, गैर-जनपदीय, आपसी हितवद्ध एक्ट-1856, उ.प्र. विश्वविद्यालय एक्ट-1973 एवं शिक्षा अधिनियमों की उपेक्षा कर स्व:लाम हेतु परिजनो, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, नौकर, स्व:जातीय, साझेदार आपसी हितवद्ध अयोग्यों को प्राचार्य-प्राध्यापक पदों पर आसीन कर तथा कालेजों में शिक्षण कार्य कराए बिना छात्र-छात्राओं को मनवाही डिग्री का लालच देकर अवैध वसूली व धन उगाही एवं स्व:लाम कमाने में जुटे हैं। अधिकांश स्ववित्तपोषी कालेज 'नकल ठेकों' एवं डिग्री बिक्री के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था एवं प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, लैब, लाइब्रेरी अमानक हैं। शुल्क वसूलने के बावजूद शिक्षण कार्य नहीं होता है और छात्र उपस्थित परीक्षाकाल में ही दिखाई देती है। स्ववित्तपोषी कालेजों की संबद्धता-मान्यता की औपचारिकता में जिन प्राचार्यों-शिक्षकों को अनुमोदित किया गया है, वे लगभग सभी कागजी खानापूर्ति तक सीमित हैं और कभी भी कालेज नहीं जाते हैं। इनमें अधिकांश दूर-दराज क्षेत्र-प्रदेशों में नौकरी करने वाले या वेतन-पेशन नोगी या सेवानिवृत्ति लोगों या रिसर्चर को अनुमोदित किया गया है जिनकी डिग्री-प्रमाणपत्रों को मान्यता-अनुमोदन हेतु किराए पर लेकर प्राचार्य-शिक्षक पद पर कार्यरत दिखा कालेज-विषयों की स्थाई मान्यता प्राप्त की जा रही है। इनके अध्यापन-वेतन खातों में गमीर वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं और सामान्य छात्र मानकीय उच्चशिक्षा से वंचित हो रहे हैं। लगभग सभी स्ववित्तपोषी कालेजों में अयोग्य लोग से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। प्रबंधतंत्रों के लोग शिक्षकों को वेतन-भत्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते हैं

परन्तु मानक युक्त वेतन—भत्ते स्वयं हड्डप जाते हैं। शिक्षकों की ‘द्यूशनबाजी’ चरम पर है। परिजनों, सगे—संबंधी आपसी हितबद्धों के लाम उद्देश्यों से निर्भित शिक्षा समितियाँ व उनके प्रबंधतंत्र की संबद्धताएं पूर्णतः अमानक और अवैध बनी हैं।

- (3) यह कि, विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल तथा चिकित्सीय, विधि कालेज, शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा—माफियाओं द्वारा प्रबंधन के नाम पर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है तथा कागजी खानापूर्ति से शिक्षा के उद्देश्यों को समाप्त कर स्व:लाभ कराया जा रहा है तथा अमानक सोसाइटियाँ धन के प्रभाव में कालेज संचालन की मान्यता प्राप्त कर अवैध वसूली कर भावी पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर रही है। महाविद्यालयों के प्रबंधतंत्रों एवं शिक्षण व्यवस्था के अवलोकन—सम्पर्क से ज्ञात हुआ है कि, फर्लखाबाद सहित कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध एडिड एवं स्ववित्तिपोषी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधतंत्र कालेज सम्बद्धता—मान्यता पत्रावलियों में फर्जी, अवैध, अमानक भ्रामक प्रपत्रों एवं शपथ—पत्रों को जोड़—तोड़ कर एवं रिश्वत के प्रभाव में फर्जीबाड़ा शामिल कर स्व:लाभ कमा रहे हैं तथा शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय के कर्मियों से सांठगांठ एवं धन—लालच के प्रभाव से मनवाहे एकपट—परीक्षकों से परीक्षाएं—जांच—साक्षात्कार—नियुक्ति—जांच के फर्जी प्रपत्र बनवाकर विश्वविद्यालय की पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं तथा शिक्षा के विकास की सरकारी निधियाँ हड्डप कर कालेज भूमि, भवन पर कब्जा निवास—फसल कर रहे हैं। जिससे उच्चशिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।
- (4) यह कि, अधिकांश कालेज भवनों में माध्यमिक—पद्धिक स्कूल भी संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों से पढ़े छात्र—छात्राओं जो शादी—नौकरी—व्यवसाय के कारण बाहर चले जाते हैं या पढ़ाने में समय—लचि नहीं रखते, के नाम पंजीकृत कर छात्रवृत्ति—फेलोशिप—शिक्षात्रहण एवं पंजीयन—नकल के नाम पर वसूली कर महाविद्यालय छात्र संख्या पूरी कर ली जाती है तथा ऐसे पंजीकृत छात्रों की कक्षाओं में 100% अनुपस्थित रहने के बावजूद परीक्षाओं में उपस्थित 100% रहती है एवं नकल कराने वाले एक्सपर्ट परीक्षकों से नकल कराई जाती है और वि.वि.के उड़नदस्ते को भी पैसा दिया जाता है।
- (5) यह कि, फर्लखाबाद के अनेक एडिड कालेज ऐसे हैं, जो दबंगों की निजी विरासत व निजी आय—संपत्ति बने हैं और इनमें पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ दिखता है। अनेक ऐडिड कालेज की भूमि कहीं और पढ़ाई कहीं और हो रही है। अधिकांश स्ववित्तिपोषी कालेजों के प्रबंधतंत्र के लोग राजनीति एवं सरकारी पदासीनता का दुरुपयोग कर अवैध लाभ कमा रहे हैं।
- (6) यह कि बी.एच.यू. एवं कानपुर—रुहेलखंड वि.वि.से संबद्ध एडिड—राजकीय—अल्पसंख्यक कालेजों में आयोजित अधिकांश नेशनल—इंस्टरनेशनल कांफ्रेंस—सेमिनार में मानक—प्रतियोगियों की उपेक्षा कर प्रमाणपत्रों का खुला व्यापार हो रहा है तथा सेमिनार—कांफ्रेंस में प्रस्तुतियों का दुरुपयोग कर शोधपत्र जर्नल के स्थान पर निजी प्रकाशन कर लाभ हड्डपा जा रहा है।
- (7) यह कि, विशेष विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कालर्स से बातचीत में पता चला कि अधिकांश स्कालर विश्वविद्यालय एवं अपन निवास स्थल के जिला—राज्य को छोड़ दूर—दराज के जम्मू—कश्मीर को अपना रिसर्च एरिया बनाए हुए हैं जबकि संबंधित शोध हेतु उ.प्र. का क्षेत्र उपयोगी होने के बावजूद उपेक्षित कर विदेशी राष्ट्रों से विशेष आस्था व्यक्त कर रहे हैं।
- (8) यह कि कंपिल नगर सहित गैर—पंजीकृत ईश्वरीय विश्वविद्यालयों का संचालन अवैध है। नरक, भूत—प्रेतों का भय एवं आत्मा—जीवन उद्धार का लालच देकर किशोरियों को फंसाकर लाया जाता है और पूजा—पाठ कर्मकांडों से जन—समर्थन प्राप्त किया जाता है एवं फंसे लोगों को रात्रि के अंधेरों में न जाने कहाँ घुमाया जाता है। यहाँ किशोरियों को चिड़ियाघर की भाँति रखा है तथा अपराध जगत में सक्रिय व्यक्ति को ईश्वर बताकर उनसे युवतियों का शोषण—संसर्ग उपरांत विधवा जीवन व्यतीत करने हेतु बाद्द किया जाता है। इनकी गतिविधियाँ व्यक्ति—समाज के लिए अत्यंत घातक हैं।
- (9) यह कि, सरकारी—सार्वजनिक निधियों से निर्भित व सरकारी मानकों पर आधारित अधिकांश कालेज व्यक्ति विशेष एवं उनके परिजनों की विरासती पदासीनता एवं आय के साधन बने हुए हैं जिससे सार्वजनिक शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
- (10) यह कि, अधिकांश विश्वविद्यालयों एवं उच्चशिक्षण संस्थानों में मानकानुरूप शिक्षक, पंजीयन, शिक्षक—कर्मियों एवं छात्र—छात्राओं की व्यक्तिशः उपस्थित, अध्ययन—अध्यापन पूर्ण उपरांत परीक्षा, योग्यतानुरूप डिग्री आवंटन उपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि, उक्त बिंदुओं पर विचार कर, उ.प्र. में संचालित वि.वि. एवं संबद्धता राजकीय—एडिड—स्ववित्तिपोषी कालेज में व्याप्त अराजकता पर एवं व्यापारिक रूप में संचालित विश्वविद्यालयों—महाविद्यालयों पर तथा फर्जी छात्र, अवैध वसूली, कालेजों में प्रबंधतंत्रों के आवास—व्यापार, कोचिंग—नकल—डिप्री व्यापार, फर्जीबाड़े, शिक्षामानक व छात्रहितों की उपेक्षा पर अंकुश लगाकर, उ.प्र. की जनता को मानकीय शिक्षा—व्यवस्था प्रदान करने की कृपा करें। सधन्यवाद।
आदर सहित।

दिनांक 14-03-2017

(डॉ. नीतू सिंह तोमर)

पोस्ट डॉक्टोरल फैली
विश्वविद्यालय अनन्दन आयोग, नई दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH

Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

2076010101 <207601>
PLA/RU539544801/TN
Center No:1, OP-Code:02
TUSCHINAR INDIAN COUNCIL OF SOCIAL SCIENCE
NEW DELHI, PIN:110067



Wt:20grams,
Rs:22.00/- 29/03/2017 12:59
<Have a nice day>

Item Delivered on 29/03/2017

ह तोमर, एम.ए., पी—एच.डी. (समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

प्रियपापधालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली—110002

निवास—79/180, अपर दुर्गा कालोनी, लोको रोड फतेहगढ़, जनपद—फर्रुखाबाद—209601

पत्रांक—१७/मार्च/2017/दि. 27.3.2017 मोबाइल—09389766228, 9455709093
सेवा में, ईमेल द्वारा प्रेषित

अध्यक्ष/निदेशक नेशनल एवं इंटरनेशनल सेमिनार डिवीजन,
इंडियन कार्डिनेशन ऑफ सोशल साइंस रिसर्च,
जे.एन.यू.इंस्टीट्यूशनल एरिया, अरुणा असप मार्ग, नई दिल्ली—110067

विषय: 'सेमिनार—कांफ्रेस मानकों—प्रतियोगियों की उपेक्षा एवं प्रस्तुतियों के दुरुयोग पर अंकुश लगाने हेतु'
महोदय,

निवेदन है कि उ. प्र. के कालेज—विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित अधिकांश सेमिनार्स—
कांफ्रेस में निर्धारित मानकों एवं प्रतिभागियों के हितों की जबरदस्त उपेक्षा मिल रही है।
अधिकांश कांफ्रेस—सेमिनार्स में यू.जी.सी. एवं आई.सी.एस.आर.से अनुदान तथा कालेज—वि.
वि. फंड एवं उद्योगों से धन वसूलने के बावजूद छात्रों—प्रतिभागियों से बड़ी रकम—शुल्क
लेकर बाहरी लगभग सभी प्रतियोगियों को छात्रावासों में ही रोक कर अलग से अक्मोडेशन
चार्ज वसूला जाता है। सेमिनार—कांफ्रेस समापन उपरांत देर शाम बाहरी प्रतियोगियों को
बिना डिनर दिए भूखा ही छोड़ दिया जाता है। अधिकांश कांफ्रेस—सेमिनार्स प्रमाण—पत्रों को
नाम—प्रस्तुति रिक्त छोड़कर बिना रिकार्ड बांटकर प्रतियोगियों का कल्याण हड्पा जा रहा है।

महोदय, कांफ्रेस—सेमिनार में आमंत्रित वक्ताओं का लेक्चर—विश्लेषण मातृभाषा हिन्दी
एवं सामान्य छात्रों की समझ को उपेक्षित कर होते हैं। प्रतियोगियों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन
उपरांत पुरस्कारों का चयन प्रतियोगियों के स्थान पर आपसी हितबद्धों द्वारा एक—दूसरे का
गुणगान कर बंदरबांट हो रहा है। कांफ्रेस सेमिनार में अधिकांश प्रस्तुतियों को दुरुपयोग
कर आयोजकों द्वारा प्रस्तुतियों को अपनी निजी पुस्तक में छपवाकर लाभ कमाया जा रहा है।

उक्त स्थिति में नेशनल—इंटरनेशनल कांफ्रेस—सेमिनार्स में निर्धारित मानकों एवं
प्रतियोगियों के हितों की जबरदस्त उपेक्षा से जहाँ एक ओर कांफ्रेस—सेमिनार्स का उद्देश्य
विफल हो रहा है वहीं दूसरी ओर शैक्षिक अनुदानों एवं प्रमाण—पत्रों का जबरदस्त दुरुपयोग
होने से अयोग्य व भ्रष्ट लोगों को लाभ तथा शैक्षिक गुणवत्ता का दिनो—दिन हास हो रहा है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि, कृपया नेशनल—इंटरनेशनल कांफ्रेस—सेमिनार्स में
मानकों एवं प्रतियोगियों की उपेक्षा, अनुदान लेने के बावजूद प्रतियोगियों से वसूली, प्रमाण—
पत्रों पर नाम—प्रस्तुति की रिक्तता को रिक्त छोड़कर प्रमाणपत्रों की बिक्री, प्रस्तुतियों का
दुरुपयोग कर निजी पुस्तकों में प्रकाशन तथा यात्रा—भत्ता अनियमितताओं पर अंकुश लगाकर
कांफ्रेस—सेमिनार्स के मानकानुरूप प्रतिभागियों के हितों को सुरक्षा प्रदान करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:—27—03—2017

भवदीया

(डॉ. नीतू सिंह तोमर)
एम.ए., पी—एच.डी., समाजशास्त्र
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो
वि.वि.अनुदान आयोग, नई दिल्ली।



राज भवन

लखनऊ

संख्या - २१ / एस / जी०८०

दिनांक १८ मार्च, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

महोदय,

मा० राज्यपाल, उ०प्र० को प्रेषित डॉ० नीतू सिंह तोमर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, य०जी०सी०, नई दिल्ली के संलग्न ज्ञापन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। ज्ञापन पत्र में जनपद फर्लखाबाद के परिषदीय, कन्द्रीय, नवोदय कस्तूरबा, आश्रम पद्धति आदि विद्यालय सहित आंगनबाड़ी, सर्वशिक्षा केन्द्र तथा एडिड विद्यालयों में शिक्षा मानकों की उपेक्षा किया जाना उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त जिले में बड़ी संख्या में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या अत्यन्त न्यून होने के बावजूद शिक्षकों को वेतनादि दिये जाने और वर्तमान में प्रचलित मिड डे मिल की व्यवस्था अनियमित होने का उल्लेख करते हुए शिक्षा मानकों के अनुरूप कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
प्राप्त पत्र समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीया,

(जूथिका पाटणकर)
प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।

संलग्नक: यथोपरि।

प्रतिलिपि डॉ० नीतू सिंह तोमर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, य०जी०सी०, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

(जूथिका पाटणकर)
प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।

जाती हैं और न ही खुली बैठक-प्रस्ताव होते हैं। सरकारी कर्मी इनसे जुड़कर दलाली तक सीमित हैं। इस प्रकार कर्जी दरिद्र सुख में एवं वास्तविक दरिद्र कल्याण लाभ विहीनता या मानक उपेक्षा के कारण दुरी तरह दरिद्रता ग्रसित हैं।

- (2) यह कि, भारतीय समाज के संचालन एवं नियन्त्रण में नैसर्गिक सिद्धान्तों का समावेश है। जिसकी उपेक्षा देश-समाज हेतु घातक है। स्वतन्त्र भारत में जन-सामान्य के हितों की सुरक्षार्थ भारतीय संविधान लागू है तथा अधिकारों एवं दायित्वों के संरक्षण हेतु अनेक नियम-संहिताएं लागू हैं जिनका समय-समय पर सुधार भी होता रहता है। विकास के लिए पंच-पर्याय योजनाएं संचालित हैं। जिनके क्रियान्वयन एवं नियमित निगरानी हेतु स्तरीय अधिकारियों-कर्मचारियों के पद-उत्तरदायित्व निर्धारित है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की पात्रता एवं आवेदन की स्वीकृत एवं धन आबंटन की औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित है। जिसमें शासक-प्रशासक की नियमित निगरानी एवं जबाबदेह उत्तरदायित्व निर्धारित है। इसके बावजूद वास्तविक दरिद्रों के कल्याण की उपेक्षा, रहीसों को दरिद्र योजनाओं के लाभ आबंटन में समर्थन एवं रहीस-लुटेरों का कर्जीबाड़ा समाज विरोधी एवं संगठित संगीन अपराध है। जबाबदेह अंकुश लगना चाहिए।
- (3) केंद्र एवं प्रदेश सरकारों द्वारा दरिद्रों एवं असहाय व्यक्ति-परिवारों के लिए अनेक जन-कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यथा दरिद्रों के लिए नगर-गांवों में मुफ्त सरकारी आवास, शौचालय, विद्युत-गैस कनेक्शन, सौरलाइट, छात्रवृत्तियां, जीवन सुरक्षा बीमा, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क शिक्षा, बिना व्याज क्र०, कृषि अनुदान, पशु अनुदान, असहाय-वृद्धा-विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन, विकलांग पेंशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी तथा खाद्य सुरक्षा गारंटी-2013 के अन्तर्गत कंगालों को प्रति राशन कार्ड पर पूर्व की मात्रा 35 किलो अनाज, चीनी, किरोसिन और गरीब बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. राशनकार्ड धारकों को पात्र गृहस्थी में परिवर्तित कर 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन दिया जाना जनवरी 2016 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा सरकारी-अनुदानित स्कूलों में 1-8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें, पोशाकें, मध्याह्न भोजन, दूध, फल, वेतनिक शिक्षक-कर्मचारी, किशोर-प्रीढ़ निरक्षरों को साक्षरता तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, खिलौने, स्वास्थ्य जांच, स्कूल पूर्व की शिक्षा एवं महिलाओं के मातृत्व धारण करने के उपरान्त पौष्टिक भोजन, दूध, फल, चिकित्सा, किश्तों में 6000 रुपए मुहैया कराने का प्रावधान है। जिसके दुरुपयोग पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए।
- (4) यह कि, समाज के प्रत्येक व्यक्ति और उसके सभी प्रतिपाल्यों को शिक्षित करने के लिए फर्लखाबाद जिले में बहुत बड़ी संख्या में परिषदीय, कैंप्रीय, नवोदय, कस्तूरबा, आश्रम पद्धति विद्यालय संहित आगंवाड़ी, सर्वशिक्षा केंद्र तथा एडिड विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षामित्र, प्रेरक, कार्यकारी, सहायिका, अनुदेशक, रसोइया कोआर्डिनेटर, शिक्षाविकारी संहित सेवक, स्वीपर, लिपिक कार्यरत हैं। जिनके वेतन-भत्तों एवं छात्रों के लिए मिड-डी-मील, दूध, फल, बस्तों, ड्रेसों आदि पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय हो रहा है। इसके बावजूद उ.प्र. राज्य के फर्लखाबाद जनपद के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई न होने से कोई भी अपने प्रतिपाल्यों को इन स्कूलों में पढ़ाने हेतु तैयार नहीं है। सरकारी सुविधा प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का पूर्णतया अभाव है। इनमें जो छात्र पंजीकृत हैं उनमें अधिकांश छात्र या तो कर्जी हैं अथवा पूर्णतया निरक्षर हैं। इनमें कार्यरत लगभग सभी रसोइयों एवं पंजीकृत छात्रों व अभिभावकों में अधिकांश की निरक्षरता और अशिक्षा फर्लखाबाद की शिक्षा की वास्तविकता उजागर करती है।
- (5) सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पौढ़ शिक्षा के सभी केंद्र परिषदीय विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं। इन सभी केंद्रों पर महिला-पुलाय दो प्रेरक जिनमें अधिकांश रहीस परिवारों के व्यक्ति हैं जो निरक्षरों को पढ़ाते नहीं हैं और न ही निरक्षरों को साक्षर बना रहे हैं। साक्षर-परीक्षा कर्जी होती है एवं छात्रवृत्तियों हड्डी जा रही हैं। अंकुश लगना चाहिए।
- (6) यह कि, जनपद की लगभग सभी ग्रामसमाजों में खुली बैठक किए बिना ग्राम प्रधानों एवं उनके परिजन-दलालों द्वारा रहीसों को दरिद्र कल्याण योजनाओं का लाभ बैचकर सरकारी धन-सम्पत्ति को हड्डपा जा रहा है अंकुश लगना चाहिए।
- (7) यह कि, नगर निवासी एवं नौकर-मजदूरों को प्रधान बनाकर प्रधान का दुरुपयोग करने वालों पर अंकुश लगना चाहिए।
- (8) यह कि, कर्जी दरिद्र बने अंत्योदय, बी.पी.एल.असहाय-वृद्धा-विधवा-समाजवादी-विकलांग पेंशन धारियों पर अंकुश लगे।
- (9) यह कि, कर्जी दरिद्रों को मिल सरकारी लोहिया-इंदां-काशीराम आवासों, शौचालयों, गैससिलेंडरों को वापस लिया जाए।
- (10) यह कि, सर्वण जाति-वर्गों के सफाईकर्मियों से स्वयं गाव की गली-नालियां साफ कराई जाए या बर्खास्त किया जाए।
- (11) सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अमानक रूप से बने एवं बंद पड़े शौचालयों-आवासों का आबंटन रद्द होना चाहिए।
- (12) यह कि, नगर निवासी एवं पल्नी-नौकरों को कोटेदार बनाकर राशन-तेल को हड्डपने वालों पर अंकुश लगना चाहिए।
- (13) यह कि, चूंकि सभी अन्त्योदय एवं अधिकांश गृहस्थी राशनकार्ड धारक रहीस हैं, आबंटन तत्काल निरस्त होना चाहिए।
- (14) यह कि, ग्रामसमाजों-नगरों की खुली बैठक-प्रस्ताव बिना पारित योजनाओं का आबंटन तत्काल निरस्त होना चाहिए।
- (15) यह कि, योजनाओं के लाभ आबंटन में दरिद्रों की उपेक्षा एवं रहीसों की पात्रता पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए।

अतः अनुरोध सहित है कि, उक्त सुझावों-तथ्यों पर गभीरता पूर्वक विचार कर, दरिद्रों के लिए शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के आबंटनों में व्याप्त अनियमिताताओं पर अंकुश लगाकर रहीसों की कर्जीबाड़े तत्काल बंद करकर योजनाओं के लाभ की खीरी-फरोख्त पर तत्काल अंकुश लगाएं। ग्राम-नगर के अध्यक्षों-सचिवों-लेखपालों के कर्जीबाड़ों, कर्जीबाड़े पर मनरेगा भुगतान, अंगनबाड़ी की पंजीरी-भोजन को हड्डपकर हो रहे बंदरबांट पर तत्काल अंकुश लगाकर, दरिद्रों के कल्याण के लिए मानकीय व्यवस्था अनुरूप दरिद्रता उन्मूलन में गरिमामयी योगदान अवश्य प्रदान करें।

आदर सहित।

दिनांक 09-03-2017

मवदीया
(डॉ. नीतू सिंह तोमर)
पंत्र ऑफिसर चैलेन्जर
विधायिकालय अनुदान आयोग, नई-दिल्ली-110002
Dr. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

रसोइया एवं अध्यक्ष पदों पर कार्यरत अधिकांश के बच्चे स्कूल के छात्र नहीं हैं। इनमें लगभग सभी अपने परिजनों सहित समाजवादी-विधवा-बृद्ध पेशन घारी होने के बावजूद रहीस-प्रधानों एवं शिक्षकों की कृपा से पदासीन हैं। अनेक रसोइया ऐसी भी हैं जो स्कूल में खाना न बनाकर शिक्षकों, प्रधानों, कोटेदारों, अध्यक्षों के घर पर काम करती हैं। रसोइयों की पदासीनता में दलितों का पूर्णतया अमाव है और जो दलित रसोइया बनी हैं उनसे स्कूलों में खाना न बनवाकर स्वीपर का काम लिया जा रहा है। स्कूलों में बना भोजन की बहुत बड़ी मात्रा रसोइया अपने घर ले जाती हैं और परिजनों सहित पशुओं को खिलाती हैं। अधिकांश रसोइयों-आंगनबाड़ियों के पति, बेटे-बहुए आदि या प्रधान-कोटेदारों-शिक्षकों के नीकर प्रबंध समितियों के अध्यक्ष बने हुए हैं जो बिना बैठक-प्रस्तावों के फर्जी अनुमोदनों से गंभीर वित्तीय अनियमिताएं करने में लगे हुए हैं। प्रबंध समितियों के ऐकेट्स से शिक्षकों के फर्जीबाड़ी अति गतिशील हैं। सरकारी स्कूलों में सबसे आश्वर्य जनक बात यह है कि इनमें कार्यरत लगभग सभी रसोइया एवं उनके परिजन तथा उनके लगभग सभी प्रतिपाल्य निरक्षर हैं। बड़ी संख्या में निरक्षरता फर्जी साक्षरता का प्रमाण है। इसके बावजूद प्रेरकों, शिक्षामित्रों, शिक्षकों, आंगनबाड़ियों की पदासीनता एवं वैतन-भरते जारी हैं जबकि जिले के अधिकांश व्यक्ति अधिकांश एवं निरक्षरता के शिकार हैं। जो देश के लिए कलंक है।

आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन परिषदीय विद्यालयों में हो रहा है। इन केंद्रों पर कार्यरत अधिकांश कार्यक्रियाएवं पर्वेशक कोटेदारों, अधिकारियों, कर्मचारियों व रहीस परिवारों से हैं जिनका निवास संबंधित गांवों में न होकर अन्य गांव-नगर में हैं और वे ड्यूटी पर नहीं जाती हैं। उनकी जगह सहायिका या अन्य लोग उपस्थित खानापूर्ति करते हैं। फर्जी छात्रों का पंजीकरण, बच्चों-महिलाओं को आहार-पूष्टाहार वितरण पूर्णतया फर्जी हो रहा है। पंजीरी ब्लैक होकर भैंस खा रही हैं। आंगनबाड़ी के पंजीकृत बच्चे पब्लिक स्कूलों के छात्र होने के साथ ही परिषदीय स्कूलों में भी नामांकित हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पौढ़ शिक्षा के सभी केंद्र परिषदीय विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं। इन सभी केंद्रों पर महिला-पुरुष दो प्रेरक कार्यरत हैं। जिनमें अधिकांश रहीस परिवारों के व्यक्ति हैं जो निरक्षरों को नहीं पढ़ाते हैं और न ही निरक्षरों को साक्षर बना रहे हैं। साक्षरता परीक्षा फर्जी कराते हैं।

मोहम्मदाबाद में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय अनुसूचित एवं जनजाति के दरिद्र बच्चों के लिए है तथा कुछ सीटों पर दरिद्रों के बच्चों को भी प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जिसका लाभ पात्र दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्रों-अपात्रों का दिया जा रहा है। वारतविक पात्र दरिद्र वयित-निरक्षर हैं। इसी प्रकार जिले के सभी ब्लैकों में कस्तूरबा विद्यालय निरक्षर किशोरियों के लिए संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों में आवासीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 100 छात्रों को पंजीकृत कर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा, मानकीय शिक्षा तथा पंजीकरण की संदिग्धता इस आधार पर अति प्रबल है क्योंकि लगभग सभी शिक्षक अपने निवास से ही रोज आते जाते हैं।

फतेहगढ़ में संचालित मूक-बधिर केंद्र पर कार्यरत अधिकांश शिक्षक-कर्मचारी स्थानीय होने के कारण शिक्षण कार्य में रुचि न लेकर अन्य व्यवसायों एवं राजनीति में तक्रिय बने हैं तथा अपंग छात्रों की शिक्षा व व्यवस्था रामबरोसे हैं।

जिले के गैर पंजीकृत ईश्वरीय विश्वविद्यालयों का संचालन अवैध है। नरक, भूत-प्रेतों का भय एवं अपराध जगत में सक्रिय व्यक्ति को ईश्वर बताकर उनसे युवतियों का शोषण-संसर्ग उपरांत विधवा जीवन व्यतीत करने हेतु बाद्ध करना, आत्मा-जीवन उद्धार का लालच देकर किशोर-किशोरियों एवं प्रीड़ों को फंसाकर लाया जाता है। जहाँ किशोर-किशोरियों को चिंडियाघर की भाँति रखा है। पूजा-पाठ के कर्मकांडों से जन-समर्थन प्राप्त किया जाता है एवं फंसे लोगों को रात्रि के अंधेरे में इधर-उधर करके न जाने कहीं ले जाया जाता है। इनकी गतिविधियां व्यक्ति-समाज के लिए अत्यंत घातक हैं। धार्मिक स्थलों एवं अल्पसंख्यकों के नाम पर संचालित विद्यालयों में धर्म एवं शिक्षा का दुरुपयोग होकर छात्र-छात्राओं को अंधविश्वासों का अंधानुकरण करने हेतु बाद किया जाता है। दान-अनुदान एवं छात्रवृत्तियों को हड्पकर मठाधीश व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। फर्जीबाड़ी पर आधारित अधिकांश मदरसों की शिक्षा अति सदिग्द एवं समाज विरोधी है।

जनपद में संचालित पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों में अधिकांश ऐसे छात्र हैं जो परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत हैं या रहे हैं और उनके माता-पिता सरकारी योजनाओं का लाभ यथा समाजवादी, विधवा, बिकलांग पेशन सहित दरिद्र कल्याण हेतु बनी योजनाओं का लाभ लेकर सरकारी विद्यालयों में नौकरी-अध्यक्षता कर रहे हैं। निजी स्कूलों के छात्रों से सम्बन्धित विचारणीय तथ्य यह है कि परिषदीय स्कूलों की शिक्षा पूर्ण करने के बावजूद जब छात्रों को निरक्षर होना पड़ता है तो उन्हें पुनः पब्लिक स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है और बड़ी उम्र में भी वह निम्न शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

फर्स्तखाबाद जनपद में संचालित छत्रपति शाहजी महाराज वि.वि. कानपुर से सम्बद्ध तथा मान्यता प्राप्ता एडिड एवं स्ववित्तपेषित महाविद्यालयों की अधिकांश प्रबंध समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्य स्थानीय समुदायों के जन-साधारण, शिक्षाविद, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन योजना के मानकानुरूप है। शैक्षिक मानक प्रतिकूल प्रबंधताओं के पदाधिकारी-अध्यक्ष-सचिव-सदस्य परिजन भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, सास-ससुर, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, स्वजातीय, नौकर, मित्र, किराएदार, साझेदार, गैर-जनपदीय आपसी हितबद्ध हैं। इन कालेजों के लोग अपने निजी लाभ के लिए व्यापार की भाँति सार्वजनिक शिक्षा को दूषित कर रहे हैं। सोसाइटी एक्ट-1856, उ.प्र. विश्वविद्यालय एक्ट-1973, शिक्षा अधिनियमों की उपेक्षा कर रखःलाभ हेतु परिजनों, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, नौकर, स्वजातीय, साझेदार आपसी हितबद्धों को प्राचार्य, प्राध्यापकों, कर्मचारियों के पदों पर आसीन कर तथा कालेजों में शिक्षण कार्य कराए बिना छात्र-छात्राओं को मनवाही डिग्री का लालच देकर अवैध वसूली व धन उगाही एवं व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। स्ववित्तपेषी कालेज 'नकल-ठेकों एवं डिग्री विक्री के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था एवं प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, लैब, लाइब्रेरी आदि अमानक हैं तथा

छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगारों से मनमाना धन वसूलने के बावजूद शिक्षण नहीं होता है। स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता संबंधी पत्रावलियों में औपचारिकतावश जो प्राचार्य, शिक्षक अनुमोदित होते हैं वह कभी विद्यालय नहीं आते हैं। उनमें अधिकांश अन्य कहीं वेतनमोर्गी एवं अन्य दूर-दराज क्षेत्र-प्रदेशों में सरकारी नौकरी करने वाले या वेतन-पेशन भोगी या सेवानिवृत्ति लोगों को वि. वि. द्वारा अनुमोदित किया गया है जो अपने प्रमाणपत्रों को मान्यता-अनुमोदन हेतु किराए पर देकर शिक्षक-प्राचार्य पद पर कार्यरत दिखाने हेतु रु.20,000 से 25000 वार्षिक देकर उनकी कालेज अध्यापन उपस्थित मुक्त रहती है तथा इनका वेतन भुगतान के बैंक खातों में गमीर वित्तीय अनियमितताएं जारी हैं। जिसके कारण पात्र व्यक्ति रोजगार से वंचित हो रहे हैं। स्ववित्तपोषी कालेजों में अहं शिक्षक को मानकीय वेतन नहीं दिया जाता है। प्रबंधतंत्रों के लोग अहं शिक्षकों को वेतन-भत्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते हैं परन्तु मानकयुक्त वेतन-भत्ते नहीं देते हैं। शिक्षक 'ट्यूशनबाजी' में संलिप्त हैं। शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति की जगह परिजनों, सगे-संबंधी आपसी हितबद्धों के स्वलाभ उद्देश्यों से मानक विरुद्ध निर्मित समितियों एवं उनकी प्रबंध समितियों की संबद्धताएं पूर्णतया अवैध हैं। अशासकीय मान्यता प्राप्त कालेजों के संचालन की जरूरी प्रशासन योजना आदेश जी.ओ.संख्या-643(1) दि. 15.8.11 एवं अधिनियम 1921 तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अधिनियम संख्या-21 शैक्षिक-संस्थानों द्वारा अभी तक उपेक्षित है।

जनपद का डायट केंद्र रजिस्ट्रेशन में संचालित हो रहा है। केंद्र के प्राचार्य एवं शिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थी यदाकदा विद्यालय आते हैं। प्राचार्य के विद्यालय आने की सूचना मोबाइल पर सर्कुलेट होती है तभी रस्टाफ-शैक्षक विद्यालय आते हैं।

शिक्षा बोर्ड, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल एवं विकित्सीय, विधि कालेज तथा शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा-माफियाओं द्वारा प्रबंधन के नाम पर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है और कागजी खानापूर्ति कर शिक्षा के उद्देश्यों को समाप्त कर स्वलाभ कमाया जा रहा है तथा मानक विहीन सोसाइटीयों धन के प्रभाव में विद्यालय संचालन की मान्यता प्राप्त कर अवैध वसूली कर भावी पीढ़ी का भविष्य बर्वाद कर रही है। विद्यालयों के प्रबंधतंत्रों एवं शिक्षण व्यवस्था के अवलोकन, सम्पर्क के आधार पर प्राप्त तथ्यों पर विचार करने से पता चलता है कि, फर्लखाबाद जिले में संचालित एडिड एवं स्ववित्तपोषी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक कालेज सम्बद्धता-मान्यता पत्रावली में फर्जी, अवैध, अमानक भामक तथ्यों-प्रपत्रों एवं शपथ-पत्रों को जोड़-तोड़ कर और स्वयं मनमाने ढंग से प्रमाणित कर शामिल कर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं तथा शिक्षाविभाग एवं विश्वविद्यालय के लोगों से सांठगांठ एवं धन-लालच के प्रभाव से मनवाही बैठकें जांच-साक्षात्कार-नियुक्ति-जांच के फर्जी प्रपत्र बनाकर विश्वविद्यालय-बोर्ड की पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं। जिसके माध्यम से शिक्षा के विकास की सरकारी योजनाओं की निधियों के धन को हड्डप कर कालेज भूमि, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबंधतंत्रों के लोगों व उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा-छात्र-बेरोजगार-समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।

मानक विहीन शिक्षा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक, शिक्षण, प्रकटीकल्स, पुस्तकालय, प्राचार्य और कर्मचारियों का अभाव एवं अमानकता से शिक्षा व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। नकल, ट्यूशन, बिना पाठन डिग्री-उपाधि वितरण व्यवसायों से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। शिक्षण संस्थाओं में दिखावा ज्यादा होता है तथा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का आर्थिक शोषण होता है। शिक्षण संस्थाओं का संचालन भारी वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण अति आवश्यक है। शिक्षा नवीन प्रवृत्तियों सहित व्यवसाय की ओर उन्मुख हो एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए तथा राज्य और शिक्षा के निजीकरण पर नियंत्रण आवश्यक हो। ट्रस्ट, सोसाइटी, वाणिज्य, सरकारी-आदेश एवं शैक्षिक व्यवस्था के वैधानिक प्रवद्यानों का अनुपालन होना चाहिए। प्रबंधतंत्र में अभिभावकों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों, स्थानीय साधारण-जनता को ही सदस्य-अध्यक्ष-प्रबंधक बनाया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र में परिवारवादी, जातिवादी, धर्मवादी, राजनीतिज्ञ, वेतनमोर्गियों को पदाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र का शैक्षिक हस्तक्षेत्र एवं कालेज संम्पति का दुरुपयोग पर अंकुश लगाना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में मात्र मानकपूर्ण शिक्षक, शिक्षण, वेतन भुतान, नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। प्रबंधतंत्र को चन्दे, दान, अनुदान, आय, शुल्क धन सरकारी कोषागार में जमा जमा होना चाहिए। शिक्षक-कर्मचारियों को वेतन-भत्ते का भुगतान कोषागार बैंक से वितरित होना चाहिए। कालेज आडिट नियमित एवं जबाबदेह होना चाहिए। छात्रविहीन स्कूल बंद होने चाहिए। राजनीति करने वाले एवं शिक्षण कार्य न करने वाले शिक्षकों का बर्खास्त किया जाना चाहिए। ट्यूशन, नकल एवं अवैध वसूली तत्काल बंद होनी चाहिए। मान्यता, पाठक्रम, शिक्षक, कर्मचारी, प्रबंधतंत्र, बजट विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। जिला प्रशासन-शिक्षा प्रशासन की जबाबदेही होनी चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु शिक्षा के मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।

- शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु अधोलिखित विशेष तथ्य एवं सुझाव आपके समक्ष त्वरित कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत हैं।
- 1—यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वास्तविक छात्र संख्या अत्यन्त कम होने के बावजूद अत्यधिक संख्या लिखकर शिक्षकों-अनुदेशकों को दिना कार्य वेतन भुगतान हो रहा है। अंकुश लगाना चाहिए।
 - 2—यह कि, जनपद के नगर क्षेत्र फर्लखाबाद में संचालित अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के एक ही भवन के कक्षों में कन्या एवं बालकों के अनेक स्कूल संचालित हो रहे हैं इन अधिकांश स्कूलों में वास्तविक छात्र संख्या अत्यन्त कम, शिक्षक संख्या अधिक तथा छात्रों का शैक्षिक स्तर अत्यन्त निम्न है। तत्काल अंकुश लगाना चाहिए।
 - 3—यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड-डे-मील में घपला अत्यन्त चरम पर है, मील बनते समय छात्र संख्या रसोइयों एवं शिक्षकों को पता नहीं होती है। राशन तौला नहीं जाता है। मील वितरण से पूर्व पंजिका में इंट्री नहीं होती, छुट्टीकाल में फर्जी छात्र संख्या दर्ज की जाती है। तत्काल अंकुश लगाना चाहिए।
 - 4—यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष कर नगर क्षेत्र के स्कूलों में देखने को मिला है कि अधिकांश शिक्षक रसोइयों से पकौड़ी एवं गुणवत्तायुक्त भोजन बनवाकर स्वयं स्कूलों में खाते हैं और बड़ी मात्रा में बचा भोजन रसोइया अपने घरों में ले जाती हैं जबकि विद्यालयों के वास्तविक छात्रों को उबले चावल, पतली